www.thearyasamaj.org

Annual Subscription Rs. 100/-

ओ३म्

12th Oct 2013

आर्य जीवन

ఆర్య జీవన్

संस्कृति संरक्षण व सामाजिक परिवर्तन का संकल्प
హిందీ-తెలుగు ద్విభాషా పక్ష పత్రిక

आतंकवाद

प्रभात कुमार रॉय

अमेरिका की खुदगर्ज और आत्मकेंद्रित विदेश नीति के कारण ही अलकायदा जैसे आतंकी संगठन अस्तित्व में आए हैं। अमेरिका सैद्धांतिक प्रतिबद्धता से ही अलकायदा को पराजित कर सकता है, लेकिन इसके लिए उसे विश्व की समस्त धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शक्तियों को एकजुट करना होगा।

अमेरिका और अलकायदा

विश्व के दो महाद्वीपों के दो शहरों में अलकायदा आतंकवादियों ने दो दहशतगर्द आक्रमणों को अंजाम दिया। ये दोनों भीषण आक्रमण आधुनिक जेहादी आतंकवाद के रक्तरंजित इतिहास में भी सबसे अधिक जघन्य और नृशंस नरसंहारों में शुमार किए जाएंगे। प्रथम नरसंहार की वारदात अफ्रीकी देश केन्या की राजधानी नैरोबी के एक शॉपिंग मॉल में अंजाम दी गई, जहां आधुनिकतम अस्त्र-शस्त्रों से लैस अलकायदा आतंकवादियों ने मुस्लिमों को छोड़ अन्य धर्मों के अनुयायियों को बेरहमी से मार डाला। दूसरा आक्रमण पाकिस्तान के पेशावर में एक चर्च में आत्मघाती आतंकवादियों ने अंजाम दिया। नैरोबी का मॉल को काफी आलीशान है और इसमें अधिकतर उच्चवर्गीय अथवा मध्यमवर्गीय नागरिक मारे गए हैं। पाकिस्तान में ईसाई नागरिक आम तौर पर बहुत गरीब गुरबा हैं और प्रायः मेहनतकश सफाईकर्मी हैं। अतः पेशावर के चर्च पर हुए आत्मघाती आक्रमण के शिकार हुए अधिकतर गरीब पाक नागरिक रहे हैं।

नैरोबी में आक्रमण अंजाम देने वाला गिरोह अल शाबाब वस्तुतः अलकायदा से प्रेरित रहा सोमाली मुजाहिद गिरोह है। अलशबाब काफी वक्त से अलकायदा से जुड़ने अथवा न जुड़ने को लेकर अंदरूनी कशमकश का शिकार रहा। आखिरकार अल शबाब अलकायदा के नेटवर्क से जुड़ने में कामयाब हो गया और उसके बाद अलशबाब ने पहली बड़ी दहशतगर्द वारदात केन्या में अंजाम दे दी है। नैरोबी में शॉपिंग मॉल पर अंजाम दिए गए आक्रमण की कयादत करने का संदेह एक ब्रिटिश

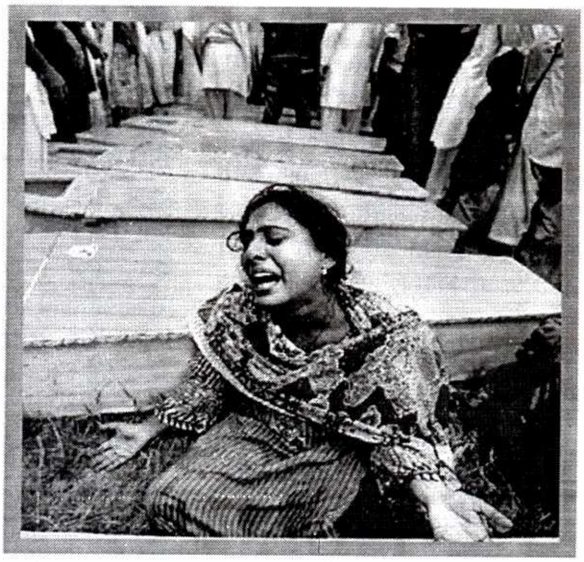

मूल की मुसलिम महिला पर आयद है, जिसका नाम सामंथा बताया गया है। व्हाइट विडो के नाम से कुख्यात रही दहशतगर्द महिला सामंथा आक्रमणकारी गिरोह अल शबाब की प्रवक्ता भी रही है। इस गिरोह को शिकवा रहा है कि केन्या की सेना उस संयुक्त अफ्रीकन सेना में क्योंकर शामिल हुई है, जो सोमालिया को कट्टरवादी मुस्लिम तंजीम के कब्जे से बचाने की कोशिशें अंजाम दे रही है। तालिबान गिरोह तो सदैव से ही अलकायदा से प्रेरित और पोषित रहा है। दो भीषण आक्रमणों को अंजाम देकर अलकायदा तंजीम ने अपनी ताकत का एहसास एक ध्रुवीय विश्व के अलंबरदार अमेरिका को करा दिया

गुरु का वरण

अज्ञान तिमिरानस्य ज्ञानांजन शलाकया।
चक्षु रुन्मिलिय येन तस्मै श्री गुरुवै नमः।।

भारतवर्ष की महिमामयी संस्कृति में, ऋषियों की परंपरा में तीन गुरु माने जाते हैं। 'शतपथ' ब्राह्मण' में कहा गया है 'मातृमान्न, पितृमान्न आचार्यवान पुरुपोवेद'।

मनुष्य का प्रथम गुरु माता है, द्वितीय गुरु पिता है और तृतीय गुरू आचार्य है। माता-पिता का चुनाव संतान के वश में नहीं होता है। संतान का चुनाव भी माता-पिता के वश में नहीं होता। किस माता-पिता को कौनसी संतान मिलेगी और किस संतान को कौनसे माता-पिता मिलेंगे, यह परम प्रभू परमेश्वर की व्यवस्था से जीवों के कर्मानुसार होता है। संसार में विना गुरु के, गुरु-विहीन व्यक्ति तो होते हैं, किन्तु विना माता-पिता के कोई प्राणदारी नहीं होता। अतः मातृमान और पितृमान का ऋषियों ने अर्थ बताया है कि वस्तुतः वह संतान वास्तव में मात-पिता वाली है, जिसके मात-पिता धार्मिक, विद्वान और मानवता के प्रशंसनीय गुणों से युक्त हों। सो माता-पिता का वरन् नहीं किया जाता। वे जीवों के कर्मानुसार परमेश्वर की व्यवस्था से प्राप्त होते हैं। गुरु या आचार्य का चयनया वरण किया जाता है, शिष्य का भी वरण या चयन किया जाता है। म सर्वी को गुरु बनाया जाता है न सभी को शिष्य वनाया जाता है। वेद मेंएक मंत्र आता है, जिसमें गुरु आचार्य के गुणों की व्याख्या है।

'सं पूषन् विदुषा नय, यो ज्ञसानुशासति य एवद मिति ब्रवत्' - ऋ ग. ६-५४-१

इस मंत्र में विद्यार्थी पूपन् परमेश्वर से प्रार्थना करताहै. उपादेव पुश्टिदाता परमेश्वर है। पोषण शरीर का तो होता ही है, मन, वुद्धि, चित्त, चरित्र, आचरण सवका पोषण करने वाले होते हैं। अतः मंत्र में यह भाव है कि गुरुदेव के पास विद्या की प्राप्ति के लिए ज्ञान की उपलब्धि के लिए हमारे शरीर अन्नमय कोप, प्राणमय कोष और मनोमय कोप का सब प्रकार से पोषण होता रहे मन्त्र में परमेश्वर से प्रार्थना यह की गई है कि हे पूपन देव। हमें ऐसे विद्वान गुरु के पास पहुँचाए, जो यः अज्जसा अनुशासित (अनुशास्ति) जिसकी अध्यापन करने की विधि में सरलता, शीघ्रता हो, शिष्य सरलता से हृदयंगम कर सके। कईव्यक्ति स्वयं तो विद्वान हैं, किन्तु शिष्यों द्वारा ग्राह्य अध्यापन कला नहीं होती। अध्यापन में संप्रेषणीयता, ज्ञान-दान की कला होनी चाहिए।

मंत्र का तीसरा खंड है - य एवेदमिति व्रवत् । इसका अभिप्राय यह है कि अध्यापक को यह निश्चयात्मक ज्ञान हो कि यह विषय, ज्ञान इतना ही है। ज्ञान का प्रथम पक्ष है सिद्धांत (थ्योरी) और दूसरा पक्ष व्यवहार और प्रयोग (प्रैक्टिस एंड वर्किंग) विषय का सैद्धांतिक ज्ञान अधूरा है। जव तक उसका जीवन में प्रयोग, व्यवहार न समझ में आ जाए, विद्या की वास्तविक उपयोगिता व्यवहार और प्रयोग ही है। मंत्र का एक वहुत महत्वपूर्ण अंश है कि 'हे पूषन् देव, पोषण करने वाले प्रभु, हमें विदुषानय हमें विद्वान, सुविज्ञ गुरु के पास पहुँचिए. विद्या का अदान-प्रदान तभी संभव हो सकेगा, जव गुरु और शिष्य एकत्र, एक जगह इकट्ठे हों। गुरु- शिष्य के एकत्र होने की दो विधियाँ समझ में आती हैं। एक हैं कि शिष्य गुरु के चरणों में श्रद्धापूर्वक स्वयं उपस्थित हों। गीता मेंश्रीकृष्ण कहते हैं - 'श्रद्धावान लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेंद्रियः' (गीता ४-३९) इसका अभिप्राय यह है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए तीन आवस्यक शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि शिष्य में श्रद्धा हों और गुरु के ज्ञान, जीवन और चरित्र के प्रति श्रद्धा हो। दूसरी शर्त यह है कि शिष्य विद्या प्राप्ति में तत्पर हो। शिष्य के जीवन का उद्देश्य विद्या प्राप्ति हो। ज्ञान प्राप्ति की तीसरी शर्त है कि विद्यार्थी के जीवन में भोग-विलास के प्रति संयम हो। शिष्य विलासी न हो और तपस्वी हो। साथ ही हमारे जीवन में भी इंद्रियों पर नियंत्रण हो। जिह्वा से स्वाद का भेद करते हैं। नम से सुगंध का कान से शब्द का आँखों से सुंदर रूप का और त्वचा से स्पर्श का भेद करते हैं। शिष्य भोग-विलासी न हों । जीवन में संयमी हो, तभी ज्ञान प्राप्त कर सकेगा। शिष्य का सुपात्र, श्रद्धावान और संयमी होना आवश्यक है। एक वड़ी प्रसिद्ध कहावत है - फूलहि फलहिं न वेत, जदपि सुधा वरसहिं जल्द. मूरख हृदय न चेत, जौ गुरु मिलै विरंची सम।

गीता में कहा गया है - उपदेक्ष्यंति ते ज्ञान ग्यानिनस्तत्व दर्शिनः। (गी. ४-३४) अर्थात् तत्वदर्शी गुरु लोग ज्ञान का उपदेश देंगे और अध्यापन काल में निपुण गुरु लोग शिष्य के हृदय में ज्ञान को पहुँचा भी देंगे किन्तु शिष्य के लिए आवश्यक है - 'तं विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया' (गी. ४-३९) अर्थात् शिष्य को उचित है कि वह गुरु के प्रति श्रद्धापूर्वक प्रणाम अर्पित करें। फिर वड़ी नम्रता से गुरु से प्रश्न भी करें, अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करवा ले और साथ ही गुरु के प्रति सेवा, सुश्रुपा (श्रोतुमिच्छा) की भावना वनाये रखे।

हमने ऊपर में यह लिखा था कि गुरु-शिष्य के मिलन के, एकत्र होने के दो प्रकार हैं। अव तक हम प्रथम प्रकार की चर्चा कर रहे थे कि शिष्य गुरु के चरणों में श्रद्धापूर्वक उपस्थित हो। गुरु-शिष्य के मिलन का दूसरा प्रकार है कि गुरु शिष्य के पास पढ़ने के लिए जाए, यह ट्यूशन पद्धति है। आज-कल तो ट्यूशन वहुत प्रचलित हो गया है। अध्यापरक रुपयों के पीछे शिष्यों के पास जाते रहते हैं। प्राचीन भारत में, जहाँ तक हम सोचते हैं, एक ही ट्यूटर, द्रोणाचार्य हुए थे। द्रोणाचार्य अपने निर्वाह के लिए भीष्म पितामह के पास पहुँचे थे। इस ट्यूशनी विद्या का वड़ा वारी दुष्परिणाम हुआ था। द्रोणाचार्य ने 'अर्थस्य पुरषो दासः' कहकर अपनी सफाई दी थी। और महाभारत के युद्ध में जव तक भीष्म पित्तामह कौरवों के सेनापति वने रहे, तव तक अधर्म युद्ध नहीं हुआ था। जव द्रोणाचार्य सेनापति वने, तव ही अधर्म युद्ध आरम्भ हुआ था। द्रोणाचार्य ने द्यूत क्रिड़ा के समय द्रौपदी के वस्त्रहरण के समय और अत्यंत अन्याय-पूर्वक अभिमन्यु-वध के समय आदि अवसरों पर अन्याय का समर्थन किया था। यह है गुरु का धन, आजीविका-लोभ में शिष्य के पास जाना. प्रस्तुत मंत्र में संदेश है कि शिष्य को गुरु चरणों में उपस्थित होना चाहिए और गुरु के अनुशासन नियंत्रण में विद्या ग्रहण करनी चाहिए और अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए।

- प्रो. उमाकांत उपाध्याय

Date: 12-10-2013

www.thearyasamaj.org

ओ३म्

आर्य जीवन

संस्कृति संरक्षण व सामाजिक परिवर्तन का संकल्प

ఆర్య జీవన్

హిందీ-తెలుగు ద్విభాషా పక్ష పత్రిక

आर्य प्रतिनिधि सभा आन्ध्र प्रदेश
हैदराबाद का मुख पत्र

वर्ष : २२ अंक : १९
दयानन्दाब्द : १९०
सृष्टि संवत् : १९७२९४९११३
वि.सं. : २०७०
नंदन नाम संवत् आश्विन शुक्ल पक्ष
१२-१०-२०१३

सम्पादक
विठ्ठलराव आर्य
वार्षिक मूल्य रू. 100

कार्यालय
आर्य प्रतिनिधि सभा आन्ध्र प्रदेश
महर्षि दयानन्द मार्ग, सुल्तान बाजार, हैदराबाद

दूरभाष: 040-24753827, 66758707, 24750363
फ्याक्स: 040-24557946, 24756983

Email :
aaryajeevan_aaryajivan@yahoo.co.in.
arpratinidhisabha@yahoo.co.in.
acharyavithal@gmail.com,
aryavithal@yahoo.co.in.

THE VIEWS & THE NEWS PUBLISHED IN THIS ISSUE MAY NOT NECESSARILY BE AGREEABLE TO THE EDITOR

Editor: Vithal Rao Arya
Annual subscription: **Rs.100/-**

प्रत्येक मनुष्य को पुरूषार्थ पर ध्यान देना चाहिए। इसी के द्वारा क्रियामाण, संचित और प्रारब्ध कर्म की स्थिति सुधरती है। इसी से मनुष्य उत्तम स्थिति को प्राप्त हो कर उन्नति के पात्र बनते है।

వైదిక ధర్మము

రామచంద్ర కుమార్, B.Sc., M.Ed.

అతి ప్రాచీనమైన మన ధర్మము వైదిక ధర్మము. ఈ ధర్మానికి మూలాధారము వేదము. వేదాన్ని శృతి అనీ అంటారు. వేదము సమస్త మానవళికి ఉపయోగపడే జ్ఞాన విజ్ఞాన సర్వస్వము. సృష్ట్యారంభమున పరమేశ్వరుని ఉపదేశ రూపమున అగ్ని, వాయువు, ఆదిత్య మరియు అంగిర అనే ఋషుల హృదయాంతరాళాల్లో ఈ వేదజ్ఞానము ఆవిర్భ వించింది.

అగ్ని ఋషికి ఋగ్వేదము, **వాయుఋషికి** యజుర్వేదము **ఆదిత్యఋషికి** సామవేదము మరియు **అంగిరఋషికి** అధర్వణవేద విషయజ్ఞానం కలిగిందని అంటారు.

ఋగ్వేదంలో జ్ఞానము, **యజుర్వేదంలో** కర్మ, **సామవేదంలో** ఉపాసన. అధర్వణవేదంలో విజ్ఞాన విషయాలు వివరించబడినది. ఈవిధంగా ఒక వేదము నాలుగు వేదాలుగా వెలుగులోకి వచ్చింది. మంత్రసంహితలను వేదములని అంటారు.

ఋగ్వేదంలో	**10, 552 మంత్రాలు (వీటిని ఋక్కు లని అంటారు.**
యజుర్వేదంలో	**1975 మంత్రాలు**
సామవేదంలో	**1875 మంత్రాలు**
మరియు అధర్వణ వేదంలో	**5977 మంత్రాలు**
నాలుగు వేదాలలో మొత్తం	**20,379 మంత్రాలు ఉన్నాయి.**

వైదిక వాఙ్మయము (సాహిత్యము) : ఈ వేదాలను కూలంకషంగా అర్థం చేసుకునేందుకు ఋషులు అనేక గ్రంథాలను రచించారు. ఉదాహరణకు: **బ్రాహ్మణ గ్రంథాలు** (ఇవి వేదమంత్రాలయొక్క అర్థాలను వాటిని ప్రయోగించేవిధిని తెలియజేస్తాయి. **ఆరణ్యకాలు, దర్శనశాస్త్రాలు** (షడ్దర్శనాలు), **ఉపనిషత్తులు** మరియు **వేదాంగాలు** మొదలైనవి.

వేదము ఈశ్వరీయ జ్ఞానము. అపౌరుషేయము. మానవులు సృజించిన వాఙ్మయాన్ని పౌరుషేయము అంటారు. సృష్ట్యారంభంలో మానవులకు కర్తవ్యా కర్తవ్యాలను తెలియజేసేందుకు ప్రసాదించబడిన జ్ఞానము కాబట్టి ఇది ఈశ్వరీయజ్ఞానము. సృష్టి నియమాలకు అనుకూలమూ, విజ్ఞాన సమ్మతమైన జ్ఞానము వేదాల్లో ఉంది. ఈ జ్ఞానము సార్వకాలికము, సార్వ భౌమిక మైనది. ప్రపంచములోని ప్రాణికోటికంతటికీ సమానంగా ఉపయోపడే జ్ఞానం ఇది. మనుష్యులు చేసే రచనల్లో మార్పులు, చేర్పులు, పరస్పర వ్యతిరేకమైన అభిప్రాయాలు ఉంటాయి. వేదజ్ఞానంలో ఇట్టి లోపాలు ఉండవు. సర్వజ్ఞుడి ఉపదేశంలో సమస్త మానవాళి శ్రేయస్సుకు, శాంతికి ఉపయోగపడే శాశ్వత సత్యాలు ఉంటాయి. వైదిక ధర్మం, **త్రైతవాద సిద్ధాంతాన్ని** ప్రతిపాదించింది. ఈ సిద్ధాంతం ప్రకారం సృష్టిలోని **అనాదితత్వాలు మూడు. 1) ఈశ్వరుడు, 2) జీవుడు, 3) ప్రకృతి.** (కాలాంతరములో ప్రచారంలోకి వచ్చిన అద్వైత, ద్వైతాది సిద్ధాంతములు సమర్థనీయంకావు.)" **ఏకం సద్విప్రా బహుధా వదన్తి**

www.thearyasamaj.org

ఈశ్వరుడొక్కడే కాని ఆయనకు అనేక రకాలపేర్లు ఉన్నాయి. ఆయన ముఖ్యమైన పేరు ఓమ్. **వేదాలను అందరూ చదవ వచ్చు.**

"యథేమాం వాచం కల్యాణీమావదాని జనేభ్యః ।
బ్రహ్మరాజన్యాభ్యాం శూద్రాయచార్యాయచ స్వాయ చారణాయ ॥

యజుర్వేదం 26/2

పరమేశ్వర ప్రదత్తమైన వేదాలను చదివే అధికారం అందరికీ ఉంది.

వివక్షకు తావులేదు. ఏవర్ణంవారైనా అందుకు అర్హులే.

ఉపదేశవాణి - కొన్ని వేద సూక్తులు

★ **మంత్రశ్రుత్యం చరామసి (ఋగ్వేదం 10.134.7)**
మేము వేదమంత్రాల బోధనలను అనుసరింతుముగాక.

★ **సంశృతేన గమేమహి, మాశృతేన విరాధిశి - (అధర్వణ 1.14)**
మేము వేదానుకూలంగా నడిచెదముగాక. వేద విరుద్ధ ఆచరణ చేయకుందుముగాక.

★ **మనుర్భవ జనయా దైవ్యం జనమ్ (ఋగ్ :10.53.6)**
మనన శీలురైన మానవులుకావాలి. సద్గుణ సంపన్నులైన ప్రజలను సృజించాలి.

★ **తన్మే మనః శివ సంకల్పమస్తు, (యజు : 340-1)**
నా మనస్సు సదా సత్సంకల్పాలను కలిగి ఉండాలి.

★ **కుర్వన్నేవేహ కర్మాణి జిజీవిషేచ్ఛతం సమాః (యజు:30-2):**
మానవులు మంచికర్మలు చేస్తూ వంద సంవత్సరాలు జీవించాలని కాంక్షించాలి.

★ **ఉత్క్రామ మహతే సౌభగాయ (యజు : 11.21)**
లేవండి. గొప్ప సౌభాగ్యం కోసం ప్రయత్నించండి.

★ **మిత్రస్య చక్షుషా సమీక్షా మహే (యజు: 36.18)**
మేము పరస్పరం ఒకరినొకరం స్నేహ దృష్టితో చూసుకొందుముగాక.

★ **మాత్వద్రాష్ట్రమధిభ్రషత్ (ఋగ్ 10.17.3-1)**
జాగ్రత్త! నీ దేశం ఎప్పుడూ పతనం చెందకూడదు.

★ **శతహస్త సమాహర సహస్ర హస్త సంకిర. (అధర్వణ) 3.24.5)**
వంద చేతులతో సమృద్ధిగా సంపాదించి వేయి చేతులతో పంచి పెట్టుము.

★ **సంగచ్ఛధ్వం సంవదధ్వం సంవోమనాంసి జానతామ్ (ఋ 10-191.2)**
మంచి మనస్సుతో ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకొని ఒకమేమాట, ఒకే బాటగా నడవాలి.

విజ్ఞప్తి : వైదిక ధర్మాన్ని విపులంగా అర్థం చేసుకొనేందుకు మహర్షి యానంద సరస్వతి రచించిన **"సత్యార్థ ప్రకాశము"** గ్రంథాన్ని తప్పకుండా చదవండి)

ఆర్యసమాజము

ఆర్యసమాజాన్ని **మహర్షి దయానంద సరస్వతి** క్రీ.శ. 1875లో ఏప్రిల్‌న మహా రాష్ట్రలోని ముంబయి నగరంలో స్థాపించారు. ఈ సంస్థ యొక్క ముఖ్యోద్దేశ్యము
సమస్త మానవాళి శారీరక, ఆత్మిక మరియు సామాజికోన్నతికోసం పాటుపడుతూ ప్రపంచానికంతటికీ ఉపకారం చేయుట అని దయానందులవారు ఆర్య సమాజ ఆరవ నియమంలో ప్రకటించారు. **"కృణ్వన్తో విశ్వమార్యం"** (విశ్వమానవులందరినీ ఆర్యులు = శ్రేష్ఠులుగా తీర్చి దిద్దాలి) అనే వేదాదేశం ఈ సంస్థయొక్క ధ్యేయవాక్యం, నినాదం ఆర్య సమాజము పరమేశ్వరుని అస్తిత్వాన్నీ, ఆయన ప్రబోధించిన వేద ధర్మాన్నీ అంగీకరించే ఆస్తిక ధార్మిక సంస్థయే గాక ఒక సంఘ సంస్కరణోద్యమం కూడ.

ఈ దిగువ వైదిక బోధనలను ప్రచారం చేసేందుకు ఈ సమాజము కృషి చేస్తుంది.

ఈశ్వర స్వరూపము :

★ ఈశ్వరుడు సృష్టికర్త, సత్య విద్యలకు ఆదిమూలము. ఆయన సచ్చిదానందస్వరూపుడు సర్వజ్ఞుడు, సర్వ శక్తి వంతుడు, సర్వ వ్యాపకుడు, సర్వాంతర్యామి, ఆద్యంతములు, జరామరణములు లేనివాడు, నిరాకారుడు వికారరహితుడు (పవిత్రుడు), న్యాయకారి, దయామయుడు.

ఈ గుణ-గణాలు, లక్షణాలను బట్టి పరమాత్ముడు శరీర ధారియైన వ్యక్తికాదు. ఆయనకు ప్రతీకలుగా విగ్రహాలను మలచలేము. ఆయనకు అవతారాలెత్తే అవసరముండదు. ఆయనకు దూతలుగాని, పుత్రులుగాని ఉండరు. సమస్త ప్రాణికోటి ఆయన సంతానము

★ **తీర్థాలు, పుణ్యక్షేత్రాలంటే** విశిష్టమైన మహిమలు ఆపాదింపబడిన స్థలాలు నదులు, కొండలుకావు. మానవులను దుఃఖాలనుండి తరింపజేసే జ్ఞానాన్ని ప్రసాదించు తపస్సంపన్నులైన, యోగులు, సద్గురువుల స్థావరాలు. వారి దర్శనము, సత్సంగము, బోధనల ద్వారా మోక్షమార్గం అంటే దుఃఖాల నుండి తరించే తరుణోపాయాలను తెలుసుకొనవచ్చును. వాటిని ఆచరిస్తే ఆకాంక్షలు నెరవేరుతాయి.

★ జీవుడు (మానవుడు) కర్మలు చేయడంలో స్వతంత్రుడు. కర్మఫలాలను పొందుటలో పరతంత్రుడు. పరమేశ్వరుడు కర్మఫల ప్రదాత.

★ **శుభాశుభ కర్మలకు** తగు ఫలము తప్పకుండా లభిస్తుంది. పాపములు క్షమించబడవు. కర్మానుసారంగా పునర్జన్మలభిస్తుంది. శుభ కర్మలు చేసేవారికి కర్మయోనులు, అశుభకర్మలు చేసేవారికి భోగయోనులు లభిస్తాయి.

★ **స్వర్గము, నరకము** అనే ప్రత్యేక స్థలాలు ఎక్కడా ఉండవు. అమితమైన సుఖాల అనుభూతి స్వర్గము, దుఃఖాలబాధ నరకము.

★ **భూతప్రేత - పిశాచాదుల** ఉనికి ఒక భ్రమ- అభూతకల్పన మాత్రమే. అజ్ఞానులు, అమాయకులను భయభ్రాంతులకు గురిచేసి తమ పబ్బంగడుపుకునే స్వార్థపరుల కుటిలనాటకం.

★ **శ్రాద్ధ-తర్పణములు :** బ్రతికి ఉన్నతల్లిండ్రులు, పెద్దలకు, విద్వజ్జనులకు ఆత్మీయతతో, అన్న పానీయాదులు సమకూర్చి సేవలిందించుట, ఆదరించుటయే శ్రాద్ధము, తర్పణము, మృతక శ్రాద్ధము చేయుట వ్యర్థము.

www.thearyasamaj.org

देश के प्राथमिक क्षेत्र में दुर्व्यवस्था

- उमाकांत उपाध्याय

वर्तमान काल के अर्थशास्त्री देश की आर्थिक व्यवस्था को तीन क्षेत्रों में बाँटकर देखते हैं। प्रथम प्राथमिक क्षेत्र (प्राइमरी सेक्टर), द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र (सेकेंडरी सेक्टर) और तृतीय क्षेत्र (टर्शियरी सेक्टर) इस लेख में हम प्राथमिक क्षेत्र की कुछ व्यवस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र देश के अर्थ तंत्र की आधारशिला है। इस क्षेत्र में दुर्व्यस्था का अर्थ होता है कि देश के अन्य आर्थिक क्षेत्र उन दुर्व्यवस्थाओं से आवश्य ही प्रभावित होंगे।

प्राथमिक क्षेत्र (प्राइमरी सेक्टर) में कृषि नीति और पशु-पालन-संरक्षण की नीति को सम्मिलित किया जाता है। अपने देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अर्थ शास्त्रियों का ध्यान प्राथमिक क्षेत्र की ओर सबसे अधिक आकृष्ठ हुआ। देश के दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के पश्चात परिस्थिति यह बनी कि पश्चिमी पाकिस्तान और बांग्लादेश में अतिरिक्त खाद्यानों के उत्पादन का क्षेत्र तथा कपास, गन्ना, जूट आदि कच्चे माल के उत्पादन का क्षेत्र चला गया और अधिक जनसंख्या तथा कच्चे माल को प्रयोग में लाने वाले कल-कारखाने, मिलें और उद्योग भारत में आ गये। अब भारत वर्ष खाद्यानों और कृषि आधारित गन्ना, कपास, जूट आदि की अत्याधिक आवश्यकता का अनुभव हुआ। कृषि का उत्पादन अधिक न बढ़ने से एक ओर जनता के भूखो मरने का दुर्योग तथा दूसरी ओर मिल-कारखानों में कच्चे माल की आपूर्ति न होने के कारण मिल-कारखानों के चलने में असुविधा तथा वंद होने का भय उपस्थित हो गया। भारत सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना (१९५१-१९५६) में कृषि को प्रथम महत्व दिया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि की उपलब्धि के आकलन में भूल के कारण उद्योग को महत्व दिया गया, किन्तु शीघ्र ही भूल समझ में आ गयी और तृतीय पंचवर्षीय योजना (१९६१-१९६६) में पुनः कृषि को प्राथमिकता मिली। कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए दो प्रकार की नीतियाँ अपनाई गई - १) अधिक से अधिक भूभाग को कृषि के उत्पादन के लिए तैयार किया जाए और २) सघन कृषि और बहु फसलीय खेती द्वारा उत्पादन को बढ़ाया जाए।

१) अधिकतम भूभाग को कृषि के लिए प्रयोग करने की नीति में बिना कोई आगा-पीछा सोचे, जंगल, चारागाह, घास के मैदान, तालाब आदि को कृषि कार्य के लिए अधिगृहित कर लिया गया। असंख्य वृक्ष काट डाले गये, घास के मैदान, चारागाह की जगह खेत बन गये। इसी प्रकार की अनेक विसंगतियाँ पैदा हुई, जिससे वायु मंडल, पार्यवरण अदि पर बड़ा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

२) सगन कृषि के तहत रासायनिक उर्वरकों और बहुफसलीय खेती की नीति अपनाई गई। परंपरा से प्रचलित गोबर, पत्ते, घास-फास, पशु, मल-मूत्र खली आदि जैविक खादों का उत्पादन और प्रयोग घट गया। रासायनिक खादों का प्रचलन बढ़ा। यूरिया, सल्फर, पोटैश उर्वरक आदि पृथ्वी की उत्पादनसीलता को पचाकर फसल के उत्पाद की मात्रा बढ़ा देते हैं, किन्तु पृथ्वी की उत्पादन शक्ति में वृद्धि नहीं करते। इधर विदेशों से उन्नत वीज लाये गये, उनके अधिक खाद की आवश्यकता पड़ती है। उसी के साथ रासायनिक उर्वरकों ने कृषि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि तो की, किन्तु यह भूमि की उत्पादनशीलता का अति-दोहन प्रमाणित हुआ, जैसे शिशु माँ का दूध पीते-पीते उनका खून भी चूसने लगे। यही स्थिति हमारी सघन कृषि नीति की हुई। हमने गोबर, पत्ते, गास आदि से बनी जैविक खाद का पूरा प्रबंध किये बिना उन्नत बीज और रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक प्रयोग के कारण अच्छी उर्वर भूमि को ऊसर, बंजर बना दिया। यह रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग अल्पकालीन लाभ का प्रमाणित हुआ। पंजाब आदि जिन प्रदेशों में यह सघन कृषि अपनाई गई, वहाँ के किसान कुछ ही वर्षों में अपने को ठगा हुआ, लुटा हुआ अनुभव कर रहे हैं।

प्रारम्भिक क्षेत्र में कृषि और पशुपालन - दो समस्याओं को लिया जाता है। कृषि उत्पादन रहित क्रांति के नाम से जाना जाता है और पशुपालन तथा संरक्षण से दूध का उत्पादन होता है और उसे स्वेत क्रांति के नाम से पुकारा जाता है।

श्वेत क्रांति की विडम्बना

हमारे देश में सवासौ करोड़ की जनसंख्या बसती है। यहाँ दूध-घी की अच्छी आवश्यकता है। जनता के स्वास्थ्य के लिए भी दूध, दही, मक्खन, घी सब कुछ आवश्यक है। हमारे देश में श्वेत क्रांति के कई अच्छे केंद्र कार्य कर रहे हैं। गुजरात में अमूल, मध्य प्रदेश में साँची, बिहार में दुधा, पश्चिम बंगाम में मदर डेयरी आदि एजेंसियाँ श्वेत क्रांति को सफल बनाने में लगी हुई है। अपने देश में गाय, भैंस भेड़ आदि पसु दूध के लिए पाले जाते रहे हैं। किन्तु एक तो जंगलों, चारागाहों की बड़ी कमी हो गई है। गाय-भैंस जब दूध देना बंद कर देते हैं, तो उनके खिलाने-पिलाने का खर्चा बहुत बढ़ जाता है। हरित क्रांति से पहले देश के प्रायः सवी गाँवों में गाय-भैंस आदि बड़ी संख्या में रहती थी, पाली जाती थी और जंगलों और चारागाहों में पेटभर चरने का साधन भी उपलब्ध था। अपने देश में गायों, भैंसों की बड़ी दुधारू नस्लों की बहुतायत थी, मुर्रा भैंसें ३०-४० लिटर तक दूध देती थी। हरियाणा की साहिवाल गाय बहुत प्रसिद्ध थी। अब इन नस्लों के पशु बूचड़खानों में जाने लगे हैं और अब ये नस्लें दुर्लभ होती जा रही हैं।

संयुक्त राष्ट्रसंघ की चेतावनी

विश्व मार्केट में मांस का दाम बहुत बढ़ गया है। अतः बारत सरकार विदेशी मुद्रा कमाने के लिए मांस का निर्यात बड़ी तीव्र गति से बढ़ा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के कृषि विभाग ने भयानक चेतावनी दी है कि अगर माँस के निर्यात की यही गति रही, तो अगले चार-पाँच वर्षों में बारत में दूध

वोट बैंक की राजनीति होते रहेंगे दंगे

आखिर इस दर्द की दवा क्या है?

मुजफ्फरनगर दंगा उत्तर प्रदेश की समामाजिक और सियासी जिंदगी पर अत्यंत गहरे बदनुमा दाग छोड़ गया है। इन गहन बदनुमा दागों को पूरी तरह खत्म करने के लिए संपूर्ण समाज और सियासत को दीर्घकाल तक निरंतर प्रयासरत रहना होगा। राजसत्ता के राजनीतिक दवाव के परिणामस्वरूप मुजफ्फरनगर का पुलिस प्रशासन निकम्मा और नाकार बनकर रह गया। कवाल गाँव में दो नौजवानों के कत्ल के लिए जिम्मेदार अंजाम दिए गए और फिर गिरफ्तार किए गए कातिलों को यदि सत्तानशीन मंत्री की राजनीतिक दखलंदाज़ी केचलते स्थानीय पुलिस द्वारा रिहा नहीं किया जाता, तो मुमकिन था, मुजप्पारनगर सांप्रदायिक दंगे की ज्वाला में झुलसने से बच गया होता।

मुजफ्फरनगर का संपूर्ण क्षेत्र मेहनतकश किसान आंदोलन द्वारा अनुप्रणित होकर सद्भाव से सदैव ओत-प्रोत रहा है। मेहनतकश किसानों के महान नेता चौधरी चरण सिंह ने सदैव किसानों के मध्य हिंदू-मुस्लिम भाईचारे को प्रवल रूप से बनाए रखने की सलाह और सीख अपने अनुयायियों को प्रदान की। उनकी सामाजिक विरासत को संभालने वाले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने भी १९८७ में मेरठ मेंअंजाम दिए गए सांप्रदायिक दंगे की विषाक्त फिज़ा को कमिश्नरी चौराहे पर आयोजित अभूतपूर्व किसान धरने के दौरान एकदम बदलकर रख दिया था। किसान आंदोलन के विराट मंच से जब 'अल्ला-हो-अकवर' के नारे और हर-हर महादेव का गगनभेदी उद्घोष एक साथ बुलंद किए गए, तो देखते ही देखते समस्त सांप्रदायिक विद्वेश तिरोहित होकर रह गया था। बाबरी विद्वस के पश्चात उभरे सांप्रदायिक परिदृश्य में भी किसान आंदोलन की विस्मयकारी उर्जा से समस्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश ओत-प्रोत रहा। और इसी कारण से सांप्रदायिक विद्वेश और वैमनस्य से पूर्णतः अछूता बना रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक विद्वेश की केवल कटु स्मृतियाँ ही सेष रह गई थीं और १९९८ के बाद नौजवान हुई पूरी पीढ़ी को सांप्रदायिक दंगों का कदाचित दीदार नहीं करना पड़ा।

२०१३ में एक बार फिर संपूर्ण पश्चिमी उत्र प्रदेश को सांप्रदायिक दावानल में झोंक देने की भयानक साज़िशें रची जाने लगीं। २०१४ के लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश की अस्सी लोकसभा सीटें दिल्ली की राजसत्ता पर काविज़ होने की राह बनाती हैं। मुलायम सिंह ने देश का प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा को पाल लिया, जिससे ग्रसित होकर वे केवल वोटबैंक की राजनीति को अंजाम देने में मशरूफ हो गये। समाजवादी पार्टी ने समाजवाद की डगर का पूरी तरह से परित्याग करके वोटबैंक की चाह में सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राह अख्तियार कर ली. उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटवैंक की चाह में सांप्रदायिक तुष्टीकरण की राह अख्तियार कर ली। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम वोटबैंक पर अधिपत्य करने के लिए काँग्रेस और सपा में ज़बरदस्त होड़ मच गई। वोट बैंक की प्रबलज लिप्सा में सांप्रदायिक गुंडा तत्वों को सपा में वाकायदा स्थान प्रदान किया जाने लगा। उत्तर प्रदेश में आम तौर पर एक बात कही जाती है कि जब कभी सपा सूबे में सत्तासीन होती है, नृशंस अपराधों का ग्राफ भयानक रूप से वढ़ने लगता है।

वोट बैंक की राजनीति में पूर्णतः संलग्न रहीं राजनीतिक पार्टियों ने ही दरअसल उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक दंगों की बारूद बिछा दी है, परिणामस्वरूप सूबे के २९ स्थानों पर उल्लेखनीय सांप्रदायिक दंगे अंजाम दिए जा चुके हैं। कवाल गाँव में कत्लों-गारद की वारदात तो महज़ सारे सांप्रदायिक बवाल में एक चिंगारी मात्र बन गई थी, जिसने पहले से बिछाई जा चुकी सांप्रदायिक वारूद को विस्फोटित करके बहुत बड़े इलाके को जलाकर खाक कर दिया। मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक वारूद को विस्फोटित करके बहुत वड़े इलाके को जलाकर खाक कर दिया। मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक फ़िज़ा को निर्मित करने और अपनी उत्तेजक तकरीरों से उसमें आग लगा देने वालों में तकरीवन प्रत्येक दल के स्थानीय राजनीतिक नेता शुमार रहे हैं। सप, वसपा, भाजपा, काँग्रेस इन सभी पार्टियों के स्थानीय प्रमुख नेताओं ने आम लोगों को पहले खूब भरमाया और फिर जवरदस्त दंगा-फसाद को भड़काया। सत्तानशीन सपा के नेताओं को छोड़कर वाकी सबी पार्टियों के नेताओं केतो गिरफ्तारी वारंट निकल गए और गिरफ्तारियाँ शुरू भी हो चुकी हैं। मुजफ्फरनगर दंगों की जांच के लिए एक उच्चस्तरीय जूडिशियल कमीशन की दरकार है और वास्तव में दंगों को भड़काने वाले तत्वों की जाँच-पड़ताल काकाम सीबीआई को सौंपा जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश पुलिस पर से आम लोगों का भरोसा एकदम उठ चुका है। प्रदेश पुलिस के अफसरों ने जौली नहर पर हुए सांप्रदायिक आक्रमण को पूरी ताकद से बिलकुल नहीं रोका, जिसमें कि अब तक सात किसानों की लाशें बरामद की जा चुकी हैं और चालीस अभी लापता हैं। जौली नहर पर अंजाम दिए गए जबरदस्त सांप्रदयिक आक्रमण की प्रति हिंसा में ही समूचे मुजफ्फरनगर क्षेत्र में दंगा भड़क गया था। इलाके में सक्रिय जेहादी तत्वों ने खूनी वारदात अंजाम देकर सांप्रदायिक वातावरण में जेहादी ज़हर घोलने की दृष्टि से इस वैमनस्यपूर्ण अवसर का वखूबी उपयोग किया है।

ये अत्यंत कटु और दुःखद तथ्य है कि मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक वातावरण में जेहादी ज़हर घोलने की दृष्टि से इस वैमनस्यपूर्ण अवसर वखूबी उपयोग किया है।

ये अत्यंत कटु और दुखद तथ्य है कि मुजफ्फरनगर के सांप्रदायिक दंगे के पश्चात सामाजिक तौर पर हिंदू और मुसलमानों के मध्य वैमनस्य को वहुत जल्द ही सामाजिक पुरोधाओं द्वारा दूर भी किया जा सकता है। किसान आंदोलन के नेतृत्व के ऊपर यह गहन जिम्मेदारी आयद है कि वह अपनी शानदार गरिमामय परंपरा का निर्वाह करते हुए शरणार्थियों को अपने पुश्तैनी गाँवों में वापस ले जाने के समस्त इकदामात करे। अन्य अन्य देशभक्त और राष्ट्रवादी ताकतों का भी कर्तव्य है कि वे विषाक्त सांप्रदायिक वातावरण को तिरोहित करने में अपना किरदार निभाएं। मुजफ्फरनगर का सांप्रदायिक दंगा वस्तुतः संपूर्ण इलाके में दीर्घकालीन सामाजिक दुश्मन का बीजारोपण कर सकता है, क्योंकि यह उस जरखेज सरसब्ज सरज़मीन पर साजिशन अंजाम दिया गया है, जिस पर सांप्रदायिक तत्वों की निगाह इस जिले पर लगी हुई थी। आखिर उन्हें कामियाबी हासिल हो ही गई। अव उनके हौसले वुलंद हो उठे हैं। अबवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों में भी सांप्रदायिक उपद्रव को अंजाम दे सकते हैं। बेहतर हो कि मुजफ्फर नगर में ही सांप्रदायिक तत्वों को कड़ा सवक सिखाया जाए। एक ओर जहाँ बेगुनाह शरणार्थियों को उनके गाँव वापस पहुँचाने का आवश्यक मिशन है वहीं सभी किस्मोंऔरहि रंगढंग के सांप्रदायिक गुंडों को जेल की सलाखों के पीछे धकेल देने की त्वरित कारगर कार्यवाही के लिए हुकूमत पर जबरदस्त जनदवाव बनाने की प्रबल आवश्यकता भी।

www.thearyasamaj.org

केरल में सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अभियान चलाएँ - स्वामी आर्यवेश

आर्य समाज वेलीनेझी का विधिवत् उद्घाटन

अब केरल के अन्य जिलों में भी स्थापित होगी आर्य समाज की इकाइयाँ श्री रमाकांत सारस्वत के तेजस्वी नेतृत्व में आर्य उप प्रतिनिधि सभा आगरा के प्रतिनिधि मंडल ने कार्यक्रम में सम्मिलित होकर विशेष शोभा बढ़ाई। उद्घाटन समारोह में उपस्थित गणमान्य लोगों ने यज्ञ में आहुति देकर किया संकल्प भारत के केरल प्रदेश में आर्य समाज की गतिविधियाँ लगभग समाप्त प्राय हो चुकी थी। ऐसे अवसर पर आशा की एक नई किरण के रूप में १४ सितंबर २०१३ को ग्राम वेलीनेझी, जिला पलक्कड में आर्य समाज की एक सशक्त इकाई की स्थापना हुई है। इस आर्य समाज का विधिवत् उद्घाटन श्री स्वामी आर्यवेशजी के ओजस्वी उद्बोधक के साथ हुआ। आर्य समाज के उत्साही मंत्री श्री के.एम राजन ने आर्य समाज के गठन तथा स्थापना की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालते हुए बताया कि यद्यपि आज़ादी से पूर्व सन १९२१ में स्वामी श्रद्धानंदजी महाराज, पं. ऋषिराम, श्री बुद्ध सिंह आदि के प्रयास से कालीकट व पोनामी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी. किंतु कालांतर में ये इकाइयाँ एकाध परिवार की व्यक्तिगत संपत्ति या समिति बनकर रह गई तथा आर्य समाज एवं वेदप्रचार की गतिविधियाँ समाप्तप्राय होती चली गई। केरल में आर्य समाज का संगठित कार्य नहीं हो पाया। किंतु कुछ महान व्यक्तियों के प्रयास से वैदिक साहित्य का मलयालम में अनुवाद एवं प्रकाशन अवश्य हुआ। इन महान विभूतियों में सर्वश्री वेदवंधुजी, वी.एस. हर्षवर्धनजी, आचार्य नरेंद्रभूषणजी, किमानेलूर परमेश्वरम नंदूम्वरी (जो लाहौर में विभाजन पूर्व एक गुरुकुल के आचार्य भी रहे थे), श्री आर्य भास्करजी एवं श्री वेलायुग्ध आर्य आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन विद्वान विभूतियों का आर्यक्षेत्र कुछेक बुद्धिजीवियों तक ही सीमित रहा तथा उनके जीवन में ही यह बंद होता आया। श्री राजन् ने कहा कि भारतीय वायु सेना में अपनी २० वर्ष की सेवा के दौरान मैं उत्तर भारत की आर्य सामाज की गतिविधियों से परिचित हुआ तथा मुझे यह प्रेरणा मिली कि अपने केरल प्रांत में भी हमें संगठित प्रयास करके आर्य समाज की गतिविधियाँ चलानी चाहिए। पं. गुरुदत्त विद्यार्थी, पं. लेखराम तथा स्वामी श्रद्धानंद के तप, त्याग व बलिदान से प्रेरणा प्राप्त कर मैने अपने अन्य साथियों से विचार-विमर्श करके स्वेच्छा से २००८ में वायु सेना की सेवा छोड़ दी तथा किराए का मकान लेकर पं. गुरुदत्त विद्यार्थी पुस्तकालय प्रारंभ कर दिया। शनैः-शनैः कार्य करना प्रारंभ किया। इसी बीच उनका संपर्क बंगलोर में श्री सूरज कुमार प्रकाश से हुआ। श्री कुमार के व्यक्तित्व से व उनके द्वारा किये गए उत्साहवर्धन से केरल में विधिवत आर्य समाज की स्थापना करके कार्य करने का मेरा संपकल्प और अधिक मज़बूत हो गया तथा आज के इस समारोह की भूमिका तैयार हो गई। श्री कुमारजी ने उन्हें आश्वस्त किया कि आर्य समाज एवं वेद प्रचार के लिए वे उनका तन-मन-धन से सहयोग करेंगे। आजके इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य श्रेय मैं श्री सूरज प्रकाश कुमार 'फकीर-ए-दयानंद' को देना चाहता हूँ, क्योंकि इनके ही कारण आर्य समाज के तेजस्वी संन्यासी स्वामी आर्यवेशजी महाराज का यहाँ पदार्पण हुआ है तथा इनकी प्रेरणा से ही जिला आर्य उप प्रतिनिधि सभा आगरा के प्रमुख पदाधिकारियों का प्रभावशाली प्रतिनिधि मंडल इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ है। श्री राजन ने सभी आगंतुकों का अभिनंदन एवं आबार प्रदर्शित किया। केरल में विधिवत् आर्य समाज की इकाई के उद्घाटन अवसर पर आर्य समाज का नामकरण आयोदय किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ यत्र से हुआ, जिसका संयोजन एवं पौराहित्य श्री सूरज प्रकाश कुमार ने किया। यज्ञोपरांत स्वामी आर्यवेशजी ने ध्वजारोहण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्याभारती के पूर्व प्रधानाचार्य प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान डॉ. पी.के. माधवन ने की। आगरा से पधारे प्रसिद्ध वैदिक विद्वान पंडित उमेशचंद्र कुलश्रेष्ठ ने इस अवसर पर बड़े ही हृदय ग्राही शब्दों में आर्य समाज, वेद, ओ३म आदि की व्याख्या करके उपस्थित जन समूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने बताया कि ओम परमात्मा का निज नाम तथा वेद उसका मानव मात्र के लिए जान है। आर्य समाज श्रेष्ठ (परोपकारी, सदाचारी, धर्मात्मा) लोगों के समूह का नाम है। आगरा के जुझारू आर्य नेता श्री रमाकांत सारस्वत ने घोषणा की कि यहाँ के आर्यसमाज के कार्यकर्ता भूमि की व्यवस्था कर लें, तो भवन बनाने में वे अपने साथियों की ओर से विशेष सहयोग करेंगे। सारस्वतजी ने कहा कि आज वे भाव-विभोर हो रहे हैं, क्योंकि केरल जैसे प्रांत में आज उनकी उपस्थिति में आर्योदय हो रहा है। उन्होंने सभी को इसके लिए वधाई दी। आर्यसमाज मारथली (बंगलोर) के मंत्री श्री अरुण कुमार त्रिवेदी ने एक गीत प्रस्तुत किया। मुक्य वक्ता एवं मुख्य अतिथि स्वामी आर्यवेशजी ने अंग्रेज़ी भाषा में आर्य समाज के उद्देश एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सभी श्रेष्ठजन (आर्य) संगठित होकर केरल में सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अभियान चलाएं। समाज में व्याप्त नशाखोरी, अनैतिकता, भ्रष्टाचार, अंधविश्वास आदि बुराइयाँ समादज को अंदर से प्रचावित कर रहीहैं। इन बुराइयों के विरुद्ध पूरे केरल में -ळजन-जागरण अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि हरे-भरे शिक्षित एवं संपन्न प्रदेश केरल की संस्कृति की रक्षा हो सके। स्वामीजी ने इस आर्य समाज को सार्वदेशिक सभा के साथ संवंधता का आश्वासन भी दिया तथा कहा कि शीघ्र ही समाज को मान्यता का प्रामाण-पत्र भिजवा दिया जाएगा ताकि अधिकृत रूप से समाज अपनी समस्त गतिविधियों का संचालन कर सके। समाज के प्रधान श्री वी. गोविंददास ने अंत में धन्यवाद ज्ञापित किया। शांतिपाठ के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिला आर्य उप-प्रतिनिधि सभा, आगरा ने ५१००० रुपए तथा आर्यसमाज मारथली (बंगलोर) ने ११,००० रुपए दान दकर कार्यक्रम का सहयोग किया।

www.thearyasamaj.org

आर्य विवाह ऐक्ट
संक्षिप्त इतिहास और विस्तृत व्याख्या

(आर्य समाज के अधिकारियो और आर्य पुरोहितों को विशेष ध्यान देने हेतु आर्य विवाह ऐक्ट प्रकाशित किया जा रहा है जिसका पालन अनिवार्य है वरना वैधानिक दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। ध्यान दें)

आर्य विवाह बिल की आवश्यकता क्यों हुई?

आर्य समाज जन्म से ही नहीं, अपितु गुण-कर्मानुसार वर्ण व्यवस्था का पोषक है। उसके सदस्य सिद्धान्तानुकूल अन्तर्विवाह भी करते हैं। ऐसे विवाहों की संख्या सहस्त्रों तक पहुँच चुकी थी। कानून की दृष्टि से आर्य समाजी उसी धर्म शास्त्र से शासित होते हैं, जिसे 'हिंदू लॉ' कहते हैं। इसके अनुसार साधारणतया अन्तर्जातीय और अन्य धर्मों से शुद्ध किये हुओं के विवाह से जो संतान पैदा होती है, वह दाय भाग क अधिकारिणी नहीं होती थी। ये बाधाएँ आर्य समाजियों के मार्ग में भी आयी। इसकेलिए आवश्यक हुआ कि कानून बनाकर इन बाधाओं को दूर किया जाए।

इस कानून के निर्माणार्थ समय-समय विचार होता रहा और आर्य सम्मेलनों में प्रस्ताव भी पास हुेए।

आर्य विवाह बिल का विषय कब प्रारंभ हुआ?

इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए १७ फरवरी १९२५ को श्रीमद्दयानंद जन्म शताब्दी (मथुरा) के अवसर पर आर्य सम्मेलन की तीसरी बैटक में यह विषय श्री. स्व. स्वामी श्रद्धानंदजी महाराजकी ओर से प्रस्तुत किया गया और इसके संबंध में निम्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ -

'यह आर्य सम्मेलन निस्चय करताहै कि लैजिस्लेटिव असेम्ब्ली (केंन्द्रीय धारा सभा) में आर्य विवाह बिल पेश कराया जाय, जिससे आर्य समाज केप्रचार में जो बाधाएं आ रही हैं, उनका निराकरण किया जा सके और जनता मेंगुण, कर्म और स्वभावानुसार विवाहादि संस्कारों का प्रसार हो सके।

आर्य विवाह बिल में चौ. मुख्तारसिंहजी के द्वारा असेम्ब्ली में प्रस्तुत

यह बिल सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के सुपूर्द किया गया, जिसने इसको बहुत शीघ्र धारा सबा (असेम्बली) में प्रस्तुत कराने की चेष्टा की धारा सभा का वायुमंडल अच्छा देखकर सन १९२० में उसे प्रस्तुत कराया गया। श्री चौ. मुख्तारसिंह जी उस समय धारा सभा के सदस्य थे। यह बिल प्रस्तुत किये जाने के लिए उनके सुपूर्द किया गया। बिल के प्रस्तुत होने से पूर्व सभा के आदेशानुसार बिल के पक्ष में आर्य जगत् और आर्य समाचार पत्रों में आन्दोलन हुआ और बहुत से समाजों ने बिल का समर्थन करते हुए प्रस्ताव पास करके भारत सरकार के पास भेजे। इन प्रस्तावों में बिल को शीघ्र ही सिलेक्ट कमेटी के सुपूर्द करने की भी प्रार्थना की गई।

२०-१-१९३० को चौ. मुख्तारसिंहजी ने इस बिल को धारा सभा में प्रस्तुत किया गया और सिलेक्ट कमेटी के सुपूर्द किए जाने का भी प्रस्ताव रखा। परन्तु सिलेक्ट कमेटी के सुपूर्द होने से पूर्वजनमत (पब्लिक ओपिनियन) मालूम करने केलिए यह बिल प्रसारित किया गया। सबा ने और उसके आदेशानुसार समस्त समाजोंने पुनः भारत सरकार को लिखा कि यह बिल इसी असेम्बली के जीवनकाल में कानून बना दिया जाए। परंतु असहयोग आंदोलन पुनः जारी होने पर काँग्रेस के टिकट पर जो असेम्ब्ली में गये थे, उन्हें काँग्रेस के आदेशानुसार असेम्ब्ली छोड़ देनी पड़ी। इस प्रकार चौ. मुख्तारसिंह के असेम्ब्ली के पृथक होने के कारण उनके पेश किये हुए बिल का भी अन्त हो गया।

आर्य विवाह बिल श्री. बा. घनश्यामसिंह गुप्त के द्वारा असेम्ब्ली में प्रस्तुत

सौभाग्य से १९२५ ई. में श्री बा. घनश्यामसिंहजी गुप्त जो उ समय आर्य प्रतिनिधि सभा मध्य प्रदेश के प्रधान थे, असेम्ब्ली के सदस्य होकर आए।सार्वदेशिक सभा ने उनके इस बिल को पेश करने की प्रार्थना की। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक सभा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और निम्नलिखित बिल असेम्ब्ली में प्रस्तुत कर दिया गया। पुनः पूर्ववत इस बिल को कानून बनवाने के लिए सार्वदेशिक सभा के आदेशानुसार समाचार पत्रों में आंदोलन हुआ और हज़ारों समाजों ने प्रस्ताव पास करके भारत सरकार को भेजे।

बिल जो असेम्ब्ली में पेश हुआ

आर्य समाजियों में प्रचलित आन्तर्विवाहों को नियमानुकूल (जायज़) मानने तथा उनके औचित्य विषयक शंकाओं के निवारण के लिए विधान।

१) अतः यह उचित प्रतीत होता है कि आर्य समाजियों के अन्तर्विवाहों को नियमानुकूल (जायज़) माना जाए और उनके औचित्य को असंदिग्ध बनाया जाए अतः नीचे लिखा विधान (कानून) बनाया जाए।

संक्षिप्त नाम और विस्तार

१) इस विधान का नाम 'आर्य विवाह नियामक विधान' ---

www.thearyasamaj.org

१९३५ होगा।

२) यह समस्त ब्रिटिश भारत में उन सब विवाहों पर लागू होगा, जो इस विदान के अनन्तर निर्णय के लिए आवै चाहे विवादास्पद विवाह इस विधान के निर्णय के पहले या पीछे लिखा हो।

परिभाषा

इस विधान के अनुसार आर्य समाजी का अर्थ वह व्यक्ति है, जो -

क) किसी भी आर्य समाज का सदस्य है।

ख) इस विधान के निर्माण के ५ वर्ष के भीतर या अपने विवाह के एक वर्ष के भीतर (जो भी समय पीछे समाप्त हो) अपने आर्य समाजी होने की घोषणा या इसी प्रकार की घोषणा लेखवद्ध करता है।

ग) खंड (क) या (ख) में वर्णित व्यक्ति के कुटुंब का सदस्य या आश्रित सम्बन्धी।

घ) खंड (ख) में वर्णित लेख की जव १९०८ ई. के भारतीय रजिष्ट्रेशन विधान के अनुसार रजिष्ट्री हो चुकी है, तो यह इस विषय का निर्णायक प्रमाण होगा कि वह आर्य समाजी है और इसके विपरीत अन्य कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकेगा।

च) इसके विरुद्ध कोई भी विधान (कानून) रूढी या रिवाज़ के होते हुए भी, आर्य समाजियों का कोई भी विवाह इसलिए अनियमित (नाजायज़) नहीं होगा और न कभी भी नाजायज़ हुआ माना जावेगा कि विवाह के पक्षकार (वर-वधू) हिंदुओं की विभिन्न जाति या उप जाति वा विभिन्न धर्म के थे।

उद्देश्य और हेतु

यतः आर्य समाजी, जो भारत की जन-संख्या का एक पर्याप्त भाग है, निश्चयपूर्वक विश्वास करते हैं कि जात-पात उनके धर्मग्रंथ, वेद और पवित्र शास्त्रों के अनुकूल नहीं है यतः न्यायालयों में प्रलित विधान के अनुसार भिन्न जातियों या उप जातियों में उत्पन्न हुए पक्षकारों (वर-वधू) में होने वाले विवाह अवैध समझे जाते हैं और ऐसे विवाह से उत्पन्न संतानों के अनियमित (नाजायज़) उद्घोषित होने की आशंकाएँ हैं और यतः ऐसे विवाह बहुसंख्या में हो चुके हैं और यदि प्रतिबंध न होता, तो और भीअधिक होते। अतः ऐसे विधान के आवश्यकता है, तो आर्य समाजियों का सहायक हो अतः उपयुक्त विधान प्रस्तुत किया जाया है।

- घनश्याम सिंह गुप्त एम.एल.ए.

इसके पश्चात यत्न करने पर यह बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपूर्द कर दिया गया। सिलेक्ट कमेटी इसमें इस बिल का जो रूप था, उसमें निम्न बातें थी -

१) विस्तार की सीमा प्रायः मूल विल की ही रखी गई थी वरन् उसको और भी विस्तृत कर दिया गया था।

२) 'आर्य समाजी' कौन है इसका निर्णय ठीक उसी तरह न्यायालय पर छोड़ा गया था, जिस तरह सिख, मुसलमान वा पारसी की दशा में होता है।

३) विवाह के नियमित (जायज़) होने वाली धारा लगभग मूल बिल की ही रहने दी गई थी।

४) दाय भाग में निम्न महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था -

'इस एक्ट की धारा २ की अविद्यमानता में जिस स्त्री-पुरुष का विवाह अनियमित (नाजायज़) होता, उसकी ओर उनकी संतान की जायदाद का दायाद इंडियन सक्सेशन एक्ट की दाराओं के अनुसार होगा।'

प्रस्तावित बिल में दायाद की व्यवस्था हिंदुओं के वैयक्तिक (पर्सनल लॉ) कानून के अनुसार रखी गई थी। परंतु सिलेक्ट कमेटी ने यह व्यवस्था इडियन सक्सेशन एक्ट के अनुसार रखी।

सिलेक्ट कमेटी का यह संशोधन बिल के मूल उद्देश्य को नष्ट करने वाला था। अतएव आर्य समाजियों को किस प्रकार ग्राह्य हो सकता था? आर्य समाज ने इसका घोर विरोध किया और अनेक प्रस्ताव पार करके भारत सरकार के पास भेजे गए। सिलेक्ट कमेटी के माननीय सदस्य श्री डॉ. भगवानदासजी, डॉ. एन. बी. खरे, श्री घनश्यामसिंह गुप्त और श्री एम.सी. राजा ने अपने संयुक्त मत-भेद-सूचक नोट में, जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के साथ संयोजित था, 'इंडियन सक्सेशन एक्ट' के विरोध में निम्न मुख्य बातें प्रस्तुत की -

१) बिल का मुख्य उद्देश्य आर्य समाजियों की आवश्यकता को पूरा करना है। अतः दायभाग विषय धारा सं. ४ इस प्रकार बननी चाहिए, जिससे आर्य समाज के भावों का सम्मान हो सके। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि समस्त आर्य संसार पवित्र शास्त्रों के स्थान में, जिनमें उसका विश्वास है, अपने ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट को लागू होने का विरोध करेगा। उन पक्षों की जायदाद के विषय में जिनके लाभ के लिए यह बिल प्रस्तुत किया गया है, उपयुक्त एक्ट को लागु करना उनको उससे वंचित रखना है, जिसे आर्य जगत् सामूहिक रूप से चाहता और देर से माँग कर रहा है। यदि इस प्रकार के मामलों में 'इंडियन सक्सेशन एक्ट' ही लागु होना हो, तो सचमुच इस विल की आवश्यकता ही न होगी, क्योंकि वर्तमान, 'स्पेशल विवाह एक्ट' में ही यह सब मामले आ जाएँगे।

२) यह नहीं भुला देना चाहिए कि आर्य समाजी वेदों में, पवित्र-शास्त्रों में, वर्णाश्रम धर्म में आस्था रखते हैं। रूढीवादी हिंदुओं से उनके भेद केवल इतना ही है, कि वे केवल जन्म से वर्ण नहीं मानते, वे गुण-कर्मा नुसार वर्ण में विश्वास रखते हैं। (अर्थात् धंधे या पेशे से) जैसा कि आर्य समाज के प्रवर्तक ऋषि-दयानंद सरस्वती ने प्रतिपादन किया है । उस मामलों में, जहाँ पवित्र शास्त्र लागु होते हैं, उन्हें, 'इंडियन सक्सेशन एक्ट' का आश्रय

लेने के लिए कहना, उनको अपने धर्म का परित्याग करने के लिए कहने के सदृश्य है।

३) अतएव अनुरोध करेंगे कि साधारणतया पवित्र-शास्त्रों को लागु किया जाए और कतिपय असाधारण मामलों में, 'इंडियन सक्सेशन एक्ट' की शरण ली जाए । यदि विवाह से पूर्व पति हिंदू था, तो दाय भाग के लिए हिंदुओं का वैयक्तिक कानून लागु होगा।

सिलेक्ट कमेटी की बैठक में श्रियुत डॉ. भगवानदासजी ने संयुक्त शासन का संशोधन प्रस्तुत किया था।

श्रियुत घनश्यामजी अपना एक और नोट निम्न प्रकार लिखकर जोड़ा था -

आर्य समाजी की परिभाषा निकाल देना अच्छा होगा, इस विषय में मैं सुस्पष्ट नहीं हूँ, मूल विल में दी हुई परिभाषा सब व्यावहारिक दृष्टि से ठीक है, अत- उसको रहने दिया जाए। धारा सं. ४ के परिवर्तनों के संबंध में केवल समझौते के रूप में, मैं डॉ. भगवानदासजी के संशोधन को मान सकता हूँ। फिर बी मैं अनुरोध करूँगा कि दारा सं. ४ जिस रूप में बिल में प्रस्तुत की गई है, वही रहने दी जाए।

'यह आर्य- समाजियों की, जिनके लिए यह बिल है, भावनाओं के अनुकूल है। एक स्वर से आर्य समाजी इसका समाजी इसका समर्थन करते हैं।'

२२ सितंबर १९३६ ई. को केंद्रीय धारा सभा के शिमला अधिवेशन में सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर खूब बहस हुई। इस विवाद के बाद बी कोई अंतिम निर्णय न हुआ और बिल देहली स्टेशन के लिए जोड़ दिया गया। देहली स्टेशन के समय एक कठिनाई उपस्थित हुई। प्रांतीय धारा सभाओं के निर्वाचन हो चुके थे। बिल के प्रस्तोता श्री खरे महोदय (बैलट में यह बिल इन्हीं के नाम आया था।) अपनी धारा सवा में उपस्थित होना आवश्यक था। अतः वे केंद्रीय धारा सभा में आने में असमर्थ थे। उनकी अनुपस्थिति में इस बिल की हत्या अवश्यंभावी थी। परंतु सरकार, केंद्रीय धारा सबा की काँग्रेस पार्टी के नेता श्री भुलाभाई देसाई तथा सरदार संत सिंह की कृपा से बिल पर विचार का अवसर मिल गया। श्री सरदार महोदय ने अपने बिल के लिए नियत गैर सरकारी दिन को इस बिल के विचार के लिए देने की स्वीकृति देकर अपनी उदारता का परिचय दिया। अंत में २९ मार्च १९३७ को यह बिल कानून बन गया।

इस कानून में एक बड़ी बारी त्रुटी यह बतलाई जाती है कि इसमें एकपत्नीवाद का सिद्धांत न होने से स्त्रियों के लिए यह कानून अत्याचार सिद्ध होगा। इस विषय में कानून के बड़े दो पंडितों की संमति यह है कि यह कानून, 'हिंदू लॉ' का संशोधन नहीं करता है। यदि इसमें यह व्यवस्था रखी गई, तो बहुत सी उलझनें उत्पन्न होने की आसंका है। अतः यह विषय अभी लिया नहीं गया। परंतु अनुभव ने यह बतलाया है कि इस कानून में एक पत्नीवाद का सिद्धांत अवश्य रखा जाना चाहिए।

इस समय इस एक्ट की दो अंग्रेज़ी व्याख्याएं उपलब्ध है। एक तो बिल के प्रस्तोता श्री माननीय घनश्यामजी कृत और दूसरी श्री सी.एल. माथुर (रिडर लॉ कॉलैज, लाहौर) कृत ये दोनों ही व्याख्याएँ अपनी दृष्टि से उत्म और विस्मृत है। पहली प्रस्तुत सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, बलिदान भवन दिल्ली और शारदा मंदिर बुक डेपो नई सड़क, देहली और दूसरी पुस्तक युनिवर्सिटी बुक एजेंसी, लॉ बुक सेलर्स, कचहरी रोड लाहौर से प्राप्त है। इन दोनों से इस कानून के विषय में पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। श्री माननीय घनश्यमजी कृत अंग्रेजी व्याख्या का बाषानुवाद आगे के पृष्ठों में दिया गया है।

-रघुनाथ प्रसाद पाठक

Arya Marriage Validation Act No. 19 of 1937

(Finally passed by both the houses and sanctioned by His Excellency the Governor General)

To the recognise and remove doubts as to the validity of inter-marriages current among Arya Samajists. Whereas it is expedient to recognise and place beyond doubt the validity of inter-marriages of a class of Hindus known as Arya Samajists, it is hereby enacted as follows -

Short Title and extent

1) (i) This act may be called the Arya Marriage Validation Act. 1937.

(ii) It extends to the whole of the British India including British Baluchistan and the Santhal pargans, and applies also to all India subjects of His Majesty within other parts of India, and to all Indian subjects of His Majesty without and beyond British India.

Marriages between Arya Samajists not to be invalid

2 Notwithstanding any provision of Hindu law, usage or custom to the contrary no marriage contracted whether before or after the commencement of this Act between two persons being at the time of the marriage Arya Samajists shall be invalid or shall be deemed ever to have been invalid by reason only of the fac that the parties at the any time belonged to different caste or different sub-castesl of Hindus or that either or both of the arties at any time before the marriage belonged to a religion other than Hinduism.

www.thearyasamaj.org

आर्य विवाह कानून नं. १९ सन् १९३७ ई.

(यह कानून असेम्बली तथा कौंसिल स्टेट में अंतिम रूप में पास हो चुका है और गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृत भी हो चुका है।)

आर्य समाजियों में प्रचलित अंतर जातीय विवाहों का जायज़ होना स्वीकार करने और तत्संबंधी शंकाओं को दूर करने के लिए। चूँकि हिंदुओं के आर्य समाजी नामक वर्ग के अंतरजातीय विवाह का जायज़ होना स्वीकार करने और तत्संबंधी शंकाओं को दूर करने की ज़रूरत है, इसलिए इसके ज़रिये नीचे लिखे मुताबिक कानून बनाया जाता है -

छोटा नाम और विस्तार

१ - क) यह कानून 'आर्य विवाह जायज़ बनाने वाला एक्ट सन् १९३७' कहलाएगा।

ख) यह (एक्ट) तमाम ब्रिटिश हिंदुस्थान में, जिसमें ब्रिटिश बलुचिस्तान और संथाल परगने भी शामिल है, लागु होगा और हिंदुस्थान के अन्य भागों में सम्राट की समस्त प्रजा को और ब्रिटिश हिंदुस्थान के बाहर और उस पार की समस्त हिंदुस्थानी प्रजा को भी लागु होगा।

आर्य समाजियों का विवाह नाजायज़ नहीं होगा

२- बावजूद हिंदू रीति या रिवाज़ के विरुद्ध विधान के (हिंदू कानून या रीति रिवाज़ में कोई विधान इसके विरुद्ध रहते हुए भी) विवाह के समय आर्य समाजी कहने वाले व्यक्तियों के बीच का कोई भी विवाह चाहे वह विवाह संबंध इस एक्ट के लागु होने के पूर्व हुआ हो, या तत्पश्चात हुआ हो, केवल इसी बात के कारण कि वे लागु होने के पूर्व हुआ हो, या तत्पस्चात हुआ हो, केवल इसी बात के कारण कि वे लोग किसी समय हिंदू समाज के भिन्न - भिन्न जाति या भिन्न-भिन्न उपजाति के थे या कि उनमें से कोई एक या दोनों ही विवाह के पूर्व किसी समय हिंदू धर्म के सिवाय किसी अन्य धर्म थे, नाजायज़ नहीं होगा या कभी भी नाजायज़ था (रहा हो) ऐसा नहीं माना जाएगा।

प्राक्कथन

आर्य विवाह एक्ट पर एक पुस्तक लिखने के लिए कुछ मित्रों का मुझसे आग्रह था। ऐसे कार्यो के लिए मेरे पास समय तो नहीं था। परंतु मैं उस माँग को साप इन्कार भी नहीं कर सकता था। रेल यात्रा में खाली समय जो बच सकता था, उसी का यह छोटी सी पुस्तक परिणाम है। अतः कई अंशों में इसका दोषयुक्त होना अनिवार्य है। हिंदुओं या आर्य समाजियों के विवाह संबंधी विधानों (कानूनों) पर ग्रंथ तैयार करने का उद्देश्य कभी नहीं रहा है। इसका उद्देश्य बहुत छोटा है। यदि इस पुस्तिका से आर्य विवाह एक्ट के (इम्प्लिमेंटेशन) गर्भस्थल आशयों का जनता में थोड़ा भी प्रसार होवै, तो मुझे पूर्ण संतोष हो जावेगा।

- घनश्याम गुप्त

प्रारंभिक

इस प्रकार के विधान (कानून) के लिए आर्य समाजियों की माँग एक विस्तृत इतिहास रखती है, जिस पर यहाँ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इस छोटी सी पुस्तिका में, जिसका उद्देश्य इस कानून की कानूनी व्याख्या करना मात्र है, उन अवस्थाओं और कठिनाइयों का वर्णण अप्रासंगिक ही है, जिनमें से कानूनी रूप धारण करने से पूर्व यह बिल गुज़रा है। इस कानून के इतिहास का दिग्दर्शन कराना एक पृथक पुस्तक का ही कार्य हो सकता है, किन्तु जिज्ञासु जनता, विशेषकर आर्य समाजियों के लिए यह कहना आवश्यक है कि इस कानून को पास कराने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और ऐसे अवसर भी कई बार आये ते, जब हमारे समस्त प्रयत्न निष्फल देक पड़ने लग गये थे।

यद्यपि यह कानून छोटा सा है, परंतु यह बहुत से दूरवर्ती परिणामों से परिपूर्ण है। यदि कम से कम प्रारंभ में इसका बुद्धिमत्ता से प्रयोग हुआ, तो न केवल आर्य समाज को, वरन् समस्त हिंदू जाति को सुसंगठित और सुदृढ़ करने के अंकुर विद्यमान है। इस कानून के पास होने से पूर्व कुछ थोड़े साहसी आर्य ही अंतरजातीय विवाह करते थे परंतु अब आशा है बहुत से व्यक्ति इसका आश्रय लेंगे।

कानून का उद्देश्य

'आर्य समाजियों में प्रचलित अंतरविवाह के कानून सम्मत होने के संदोहों का निवारण और उनको कानून सम्मत करना इस कानून का उद्देश्य है।'

बिटिश भारत की अदालतों में की गई व्याख्या कै अनुसार, 'हिंदू लॉ' यह आवश्यक ठहराता है कि वर और वधू एक ही जाति के होने चाहिए। पवित्र शास्त्रों में, 'वर्ण' शब्द का प्रयोग है, 'जाति' का नहीं। ब्रिटिश भारतीय अदालतों में 'वर्ण' शब्द का अर्थ 'जाति' किया गया है। कारण यह प्रतीत होता है कि पहले पहल ब्रिटिश अदालतों में 'हिंदू और मुस्लिम लॉ' की समस्याओं पर जजों को परामर्श देने के लिए विद्वान हिंदू पंडित और मौलवी नियुक्त हुआ करते थे। कुछ समय तक उनका परामर्श पूर्ण रूप में माना जाता रहा। इस प्रकार के मामलों में स्वभावतया पुराने पंडित उस समय की प्रलित प्रथाओं के अनुसार ही शास्त्रों की व्याख्या किया करते थे। इस प्रकार धर्मशास्त्रों में प्रयुक्त, 'वर्ण' शब्द का अर्थ जन्मकी जाति माना जाने लगा।। ऋषि दयानंद के धार्मिक और सामाजिक सुधारक नहीं वरन् कहना चाहिए पुनरुद्धार के रूप में आगमन से धर्म-शास्त्रों की इस व्याख्या को बड़ा भारी धक्का लगा। यद्यपि ऐसे समाजसुधारक भी हुए, जिनका मत था कि विवाह किसी व्यक्ति की अपनी जाति तक ही परिमित रहना आवश्यक नहीं, परंतु उन्होंने इसे समाज को सुधारने का उपाय मानकर ही

www.thearyasamaj.org

इसका प्रचार किया, न कि पुनरुत्थान के रूप में उन्होंने पवित्र शास्त्रों की निंदा की, क्यों कि उनकी सम्मति में उनमें ही जन्मगत जाति के विवाहों का विधान था। उन्होंने समाज को शास्त्रों से विमुख करने की चेष्टा की।

अतः 'ब्रह्मो विवाह एक्ट' या 'स्पेशल मैरिज एक्ट' जैसी युक्तियों का आश्रय ग्रहण करना पड़ा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने शास्त्रों का खंडन नहीं किया वरन् उनकी वास्तविक व्याख्या की। उन्होंने अपने अनुयायियों को शास्त्रों से विमुख होने की प्रेरणा नहीं दी, परंतु उनके वास्तविक भावों और अर्थों का अनुकरण करने का उपदेश किया। इस प्रकार यह सच्चाई से कहा जा सकता है कि 'वर्ण' शब्द का अर्थ 'जाति' लगाये जाने के विरुद्ध सबसे पहला आघात ऋषि दयानंद ने किया। उनके विचार, निःसंदेह बहुत पहले विवाह जन्म की जाति वा उपजाति तक ही सीमित रहना चाहिए। इस बात की शुद्धता में, बात की सम्मतियों में बहुतसंदेह दर्शाया है। प्रीवी कौंसिल के अभिहाल के एक निर्णय में स्व. माननीय जस्टिस शादीलाल ने व्यवस्था दी थी कि उपजातियों का विवाह कानून विरुद्ध नहीं है। (गोपीकृष्ण का सौधन बनाम मुसम्मात जग्गो और अन्य। इंडियन अपील जिल्द ६३, १९३५ - १९३६, पृष्ठ ९५ एल.एल.आर इलाहाबाद) यद्यपि पवित्र हिंदू शास्त्रों में यह विदान नहीं है कि जन्मगत जातियों में ही विवाह सीमित रहे, तथापि अदालतों में यह प्रश्न संदेह से रहित न था। इसी संदेह के निवारणार्थ 'आर्य विवाह कानून' बनाया गया है।

आर्य लोगों का अंतरजातीय विवाह में विश्वास केवल सैद्धांतिक विवाद मात्र नहीं, वरन् उन्होंने क्रियात्मक प्रमाण भी किया है। उनमें कई अंतरजातीय विवाह भी हुए और अंब तक बहुत से विवाह हो चुके हैं। अतः इस प्रकार के विवाह आर्यो में 'प्रचलित' है।

सिलेक्ट कमेटी से निकला हुआ बिल वह न था, जो धारा सभा (असेम्बली) में प्रस्तुत किया गया था। यह दो मुख्य बातों में भिन्न था। एक तो सिलेक्ट कमेटी ने मूल बिल में दी हुई 'आर्य समाजी' की व्याख्या निकाल दी थी, दूसरे उत्तराधिकारी (दाय भाग) संबंधी बिल की धारा ३ में पवित्र शास्त्रों की योजना के स्थान में इंडियन सक्सेशन एक्ट' की योजना रख दी थी।

दाय भाग के विषय में मूल बिल में निम्न विधान था -

'इस कानून की धारा ३ में जिन अंतर विवाहों का उल्लेख है, वे सब उत्तराधिकारी के लिए द्विजों की एक ही जाति के स्त्री पुरुषों में हुए विवाह समझे जाएंगे।'

सिलेक्ट कमेटी से आये हुए बिल में निम्न बातें थी - जिन व्यक्तियों का विवाह धारा २ की अविद्यमानता में अवैध (नाजायज़) होता, उनकी और उनकी संतान की संपत्ति का उत्तराधिकारी (दाएँ भाग) 'इंडियन सेक्शन एक्ट' की धाराओं के अनुसार होगा।'

आर्य समाजी की परिभाषा

'आर्य समाजी' की परिभाषा करना, निः संदेह कठिन था। यद्दपि इस शब्द की परिभाषा के विविध यत्न हुए तथापि यह मालूम हुआ कि उसकी ठीक दो परिभाषा का किया जाना अत्यन्त कठिन कार्य है। दरा सभा में कई संशोधनों का नोटिस दिया गया था। उनमें से कुछ पर विचार भी हुआ, परंतु वे सव रद्द हुए। जैसे 'हिंदू' या 'मुसलमान' की परिभाषा करना कठिन है। ठीक वैसे ही आर्य समाजी की परिभाषा करना भी कठिन था। अतः परिभाषा विषयक धारा निकाल दी गई, और अब मैं समझता हूँ कि उसका निकालना बुद्धिमत्ता थी।

यद्यपि हिंदू, मुसलमान या आर्यसमाजी की परिभाषा करना तो कठिन है, फिर भी अदालत में यह प्रश्न उठने पर कि कौन क्या है, यह मालूम करना कठिन नहीं।

इंडियन सलेक्शन एक्ट का लागू किया जाना

सिलेक्ट कमेटी द्वारा किया हु दूसरा वड़ा संशोधन 'इंडियन सक्सेशन एक्ट का लागू किया जाना था। आर्य समाजियों को यह अग्राह्य और अमान्य प्रस्तावित धारा के समर्थन में और धारा सभा की उस धारा के विरोध में सरकार को बहुत से आवेदन -पत्र बेजे गए। एक भी आर्य समाजी सक्सेशन एक्ट को लागू करने के पक्ष में न था। अतः सिलेक्ट कमेटी वाली वह धारा निकाल दी गई।

अब प्रश्न यह होगा कि इस प्रकार के मामलों में उत्तराधिकार का कौनसा कानून लागू होगा? यद्यपि यह प्रायः निश्चित ही था कि उन पर हिन्दू लॉ (कानून) लागू होगा। फिर भी यह उचित जान पड़ा कि संदेह की अणुमात्र गुंजाइश नहीं रहने देनी चाहिए और इस उद्देश्य से परिभाषा की धारा में यह वात जोड़ दी गई। अव परिभाषा का निम्न प्रकार रूप है :-

'चूंकि हिन्दुओं के आर्य समाजी नामक समुदाय के विवाहों का वैधानिक (जायज) माना जाना और उनके जायज़ होने की शंकाओं को दूर करना उचित है। इसलिए यह निम्नलिखित विधान (कानून) बनाया जाता है।

पटना हाईकोर्ट के एक प्रकाशित मुकद्दमें के अनुसार (श्रीमती सूरज बनाम अत्तार) यह बात कही गई थी कि आर्य समाजी हिन्दू नहीं है, अतः उन पर हिन्दू लॉ लागू नहीं होता। निःसन्देह जजों ने यह आपत्ति स्वीकार नहीं की। 'हिन्दुओं का एक वर्ग' ये शब्द इस परिभाषा में जुड़ जाने से उपर्युक्त प्रकार का कहना भी भविष्य में असंभव हो जाएगा।

स्वल्प नाम और विस्तार

१- (क) यह विदान आर्य विवाह वैदानिक एक्ट सन् १९३७ कहलाएगा।

इस उपधारा का आर्य और धारा २ का आर्य समाजी शब्द एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुए हैं। वस्तुतः ये दोनों पर्यायवाची शब्द हैं। 'आर्य समाज' शब्द का शाब्दिक अर्थ 'आर्यों का समाज' है। और इस समाज वाले को 'आर्य समाजी' कहते हैं। भाषा और कानून दोनों ही दृष्टि से इन दोनों शब्दों से एक ही व्यक्ति का वोध होता है।

विस्तार और क्षेत्र

(ख) ब्रिटिश बलोचिस्तान और संथाल परगना सहित समस्त ब्रिटिश भारत वर्ष के अन्य भागों में सम्राट की समस्त प्रजा को और ब्रिटिश भारत वर्ग के बाहर तथा उस पार (समुद्र पार) की भारतीय प्रजा को यह (एक्ट) लागू होगा।

यह कानून समस्त ब्रिटिश भारत का कोई भी स्थान नहीं छूटता। इसके अतिरिक्त इसका क्षेत्र और भी विस्तृत है। भारत वर्ष के अन्य बागों में रहने वाली सम्राट की समस्त प्रजा पर भी यह कानून लागू होता है। अर्थात् भारतीय रियासतों और ब्रिटिश भारत के बाहर रहने वाली सम्राट की समस्त प्रजा पर भी।

निम्न लेख से स्थिति अधिक सुस्पष्ट हो जाएगी।

(अ) यह कानून समस्त ब्रिटिश प्रजा भारत के लिए है, जिससे ब्रिटिश वलोचिस्तान और संथाल के परगने भी शामिल है। एक्ट की धारा २ में निहित विवाह चाहे ब्रिटिश प्रजा और देशी राज्यों की प्रजा के मध्य हो, या किसी विदेशी प्रजा के मध्य हो, वह कानून सम्मत होगा, यदि वह विवाह ब्रिटिश भारत के किसी भी स्थान में हुआ हो। इस अवस्था में (अर्थात् ब्रिटिश भारत के भीकर विवाह होने की अवस्था में) वर-वधू में से किसी एक का अतवा दोनों का ब्रिटिशि भारत की प्रजा होना आवस्यक नहीं है।

व) भारत के दूसरे भागों में निवास करने वाली सम्राट की प्रजा पर भी यह कानून लागू होता है अतः बारत के किसी देशी राज्य अथवा स्वतंत्र राज्य में होने वाला (धारा २ में निहित) विवाह भी वैध होगा। बशर्त कि वर और वधू दोनों ब्रिटिश प्रजा हो, भारतीय ब्रिटिश प्रजा या अभारतीय ब्रिटिश प्रजा-

स) यदि कोई विवाह संसार के अन्य बागों में होता है, उदाहरणार्थ यूरोप या अमेरिका में, तब भी यह कानून लागू होगा। बशर्त कि वर और वधू दोनों सम्राट की भारतीय प्रजा हो। अभारतीय प्रजा को इस दशा में लागू न होगा।

आर्य समाजियों का विवाह अवैध न होगा।

धारा २

'कोई भी हिन्दू लॉ का विधान, रूढी या रिवाज़ प्रतिकूल होते हुए भी विवाह के समय आर्य समाजी दो व्यक्तियों के (बीच का) मध्य कोई विवाह चाहे, वह एक्ट के प्रारंभ (अमल) से पूर्व या पश्चात हुआ हो, नाजायज़ (अवैध) नहीं होगा और न कभी भी अवैध रहा हुआ माना जाएगा। केवल इस तथ्य के कारण से कि (केवल इस आधार पर की) वे किसी समय हिन्दुओं की विभिन्न जाति या उपजाति के थे या कि उनमें से एक या दोनों विवाह से पूर्व किसी समय हिन्दू धर्म से विभिन्न धर्म के थे'। इस एक्ट की यह मुख्य दारा है और इस पर ध्यान पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है।

१) कोई भी हिन्दू लॉ का विधान, रूढी या रिवाज़ प्रतिकूल होते हुए भी -

यह कानून हिन्दू लॉ का संशोधन करना है। अन्य किसी लॉ का नहीं। क्योंकि ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। यह कुछ रीति रिवाजों को भी सुधारना है। हिन्दू लॉ की व्याख्या और कुछ रीति रिवाज़ भी अंतर विवाहों में बाधक है। यह धारा उन सबको थोथा करती है। अक बोई रीति रिवाज़ अथवा हिन्दू लॉ की कोई धारा आर्य समाजियों के पारंपरिक अंतर विवाहों को निशिद्ध नहीं कर सकती।

यदिकोई विवाह किसी दूसरे लॉ (कानून) का उल्लंघन करता है, तो उसकी रक्षा यह कानून नहीं करेगा। उदाहरणार्थ यह कोई इंडियन पिनल कोड़ (भारतीय दंड विधान) की धारा के विरुद्ध बहु विवाह करता हो, परंतु जहाँ एक धर्म छोड़कर दूसरा धर्म अंगीकार कर लेने मात्र से विवाह विच्छेद होता हो, या जहाँ कहीं दूसरे कारणों से पूर्व विवाह का विच्छेद हो गया हो, वहाँ बाद में होने वाला विवाह वहु विवाह नहीं समझा जाएगा।

२) चाहे विवाह इस एक्ट के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात हुआ हो।

इस कानून का पूर्ववर्ती प्रभाव भी है अर्थात् इस कानून के बनने से पहले के विवाहों को भी यह कानून जायज़ करता है। बाद के विवाहों को तो यह जायज़ बनाता ही है। यह कानून १४-४-३७ को अमल में आया, जबकि गवर्नर जनरल ने अपनी स्वीकृति अंकित की थी। इस तारीख के बाद कीसमस्त शादियाँ चाहे पहले या बाद में हुई हो, जायज़ होगी। दूसरे शब्दों में इस प्रकार के विवाहों के विषय की समस्त शंकाओं का प्रतिकार इस एक्ट ने कर दिया।

३) विवाह

विवाह का अर्थ क्या है? वैध (जायज़) विवाह के लिए किन-किन उपायों और संस्कारों की आवश्यकता है? ये सब प्रश्न इस कानून के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। यह स्मरण रहे कि यह कानून **आर्य समाजियों का विवाह संबंधी कानून नहीं है।**

आर्य विवाह बिल का यह उद्देश्य कभी भी न था। इस बिल का सारा उद्देश्य केवल इतना ही था कि आर्य समाजियों के अंतरजातीय और शुद्धी विवाहों के जायज़ होने के विषय में

www.thearyasamaj.org

शंकाओं की निवृत्ति करें, और वर्तमान कानून से इस उद्देश्य की पूर्ति पूर्णतया हो जाती है। यदि विवाह विषय पूर्ण लॉ बनाये जाने का उद्देश्य होता, तो बहुत सी और दो धाराएं भी होतीं। न केवल इस प्रकार का उद्देश्य ही नहीं था, प्रत्युत यदि इस दिशा में आगे बढ़ने का यत्न किया जाता, तो वह व्यर्थ और हानिकारक होता.

४) विवाह के समय आर्य समाजी दो व्यक्तियों के मध्य कोई विवाह

विवाह के जायज़ होने के लिए, वर और वधू दोनों के विवाह के समय आर्य समाजी होना आवश्यक है। यदि विवाह के समय दोनों ही आर्य समाजी न होंगे, तो उनका विवाह जायज़ न माना जाएगा। विवाह के समय वर और वधू दोनों को आवश्यक रूप से आर्य समाजी होना चाहिए। विवाह के पहले किसी निश्चित अवधि तक उनका आर्य समाजी रहना आवश्यक नहीं। कोई पुरुष वा स्त्री अथवा दोनों शुद्धि द्वारा वा अन्य प्रकार से आर्य समाजी बन सकते हैं। बस यदि पहले विवाह होता और उसके पश्चात वे आर्य समाजी होते हैं, तो इस कानून के द्वारा वह विवाह जायज़ न बन सकेगा। उदारहण के लिए कोई हिन्दू या आर्य समाजी पुरुष या स्त्री मान लो किसी मुस्लिम स्त्री या पुरुष से विवाह करते हैं और विवाह के पश्चात वह मुस्लिम स्त्री वा पुरुष किसी समय आर्य समाजी बन जाता है, तो वह विवाह जायज़ न बन सकेगा। पस यदि आर्य समाजी बनना पहले हुआ और विवाह पश्चात, तो वह विवाह बिल्कुल जायज़ होगा, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि जो विवाह अन्य किसी विधान से जायज़ हो, वह आर्य समाजी बनने से नाजायज़ हो जाता है।

उदाहरण के लिए एक मुसलमान या ईसाई दम्पत्ति है, जिनका विवाह मुस्लिम या ईसाई कानून के अनुसार जायज़ तौर पर हुआ है। यदि ये दोनों (स्त्री-पुरुष) आर्य समाज में दीक्षित हो जाए, तो वे दोनों शुद्धि के पश्चात भी ठीक दम्पत्ति बने रहेंगे और उन्हें आर्य समाज की पद्धति के अनुसार फिर दोबारा विवाह करने की आवश्यकता बिल्कुल भी न होगी।

एक्ट से लाभ उठाने के लिए वर और वधू विवाह के समय आवश्यक रूपेण आर्य समाजी होने चाहिए। अब प्रश्न होता है कि आर्य समाजी कौन है? आर्य समाजी की परिभाषा नियत करने के लिए बहुत से प्रयत्न हुए। परिशिष्ट में आर्य समाजी की परिभाषा मिलेगी जैसी कि मूल बिल में लिकी गई थी। इस परिभाषा के बहुत से संशोधन भी प्रस्तुत किये गये थे। परंतु इन सबसे केवल इस शब्द की परिभाषा की कठिनता ही नहीं अपितु आर्य समाजी कौन है, इसकी मोटी रूपरेखा देने की कठिनता भी व्यक्त होती है। यह कठिनता केवल आर्य समाजियों के लिए ही नहीं, अन्यों के लिए भी है।

हिन्दू कौन है? मुसलमान कौन है? हिंदू, मुसलमान अथवा ईसाई की ठीक दो और कानूनी पारिभाषा किस प्रकार करोगे? ऐसा करना कठिन है? परंतु किसी खास मामले में यह कहना कठिन नहीं कि अमुक व्यक्ति हिंदू, मुसलमान या ईसाई है या नहीं?

मोटे तौर पर जो अपने को हिन्दू कहे, वह हिन्दू और जो मुसलमान कहे, वह मुसलमान। और यदि किसी खास मामले में यह कहने में कठिनाई उपस्थित हो सकती हो कि अमुक आदमी एक खास समय पर हिन्दू, मुसलमान वा ईसाई था, वा नहीं, तो आर्य समाजियों के संबंध में भी यही बात है। इसमें संदेह नहीं कि आर्य समाजी की संतान आर्य समझी जाएगी। आर्य समाजी के लिए आवश्यक नहीं कि उसका नाम किसी आर्य समाज के रजिस्टर में अंकित रहा हो।

यह निःसंदेह ठीक है कि यदि कोई व्यक्ति आर्य समाज का नियमित सदस्य है, तो यह उसके आर्य समाजी होने का उत्तम प्रमाण होगा, परंतु उसके आर्य समाजी होने के लिए यह आवश्यक नहीं है। समस्त धर्मों के असंख्य व्यक्ति होते हैं, जिनके नाम उनके समाजों के रजिस्टरों में अंकित नहीं होते। आर्य समाज के संबंध में भी यही बात है। बहुत से व्यक्ति है, जिनका नाम आर्य समाज के रजिस्टरों में अंकित नहीं है। फिर भी वे और उनके बच्चे अच्छे - भले आर्य समाजी हैं। वस्तुतः इन सब कठिनाइयों से बचने के लिए ही परिभाषा नहीं रखी गई। इसमें एक और लाभ है। आर्य समाज के सिद्धांतों पर विश्वास रखने वाले बहुत से हिंदू भी जो अंतरजातीय विवाह करना चाहेंगे और जो किसी आर्य समाज के सदस्य नहीं हैं, वे विवाह से पूर्व अपने को आर्य समाजी घोषित करके एक्ट से लाभ उठा सकेंगे। प्रमाण और रिकॉर्ड के लिए आर्य समाजों को ऐसे विवाहों का एक रजिस्टर खोलना कदाचित आवश्यक हो, जिसमेंइस प्रकार के समस्त विवाह अंकित हुआ करें। यह केवल प्रमाण के लिए वांछनीय है। विवाह के कानूनी रूप से जायज़ होने के लिए इसकी ज़रा भी आवश्यकता नहीं है। कानून को न तो इसकी आवश्यकता है और न कानून इसकी कल्पना ही करता है। कौन व्यक्ति आर्य समाजी है, अब इस प्रश्न का उत्तर स्वतः यह मिल जाता है । कोई भी व्यक्ति, जो इस कानून के उद्देश्य के लिए अपने को आर्य समाजी उद्घोषित करता है, वह आर्य समाजी है। संदिग्ध मामलों में यह सदैव अच्छा होगा कि विवाह से पूर्व विवाह करने वाले पुरुष और स्त्री इस बात की स्पष्ट और पब्लिक में यह घोषणा कर दें कि हम आर्य समाजी हैं। ऐसी घोषणा को स्थिर बनाने के लिए यह ठीक होगा कि वह लिखित हो और किसी दस्तावेज़ अथवा कार्यवाही पुस्तक में लिख दी जाए, क्योंकि विवाह के जायज़ होने का प्रश्न विवाह के शीघ्र पश्चात ही नहीं उठता है। प्रायः विवाह के बहुत वर्षों

www.thearyasamaj.org

के पस्चात अदालतों के सामने ऐसे मामले आते हैं, जब यह प्रश्न अदालत के सामने आता है। तब आम तौर पर कोई सबूत संभवतः सुस्पष्ट आवश्यक होता है। संदिग्ध मामलों में मौखिक साक्षी कदाचित पर्याप्त न हो। अतः किसी लेख-बद्ध सबूत का रखना बुद्धिमत्ता होगी। विज्ञात और प्रसिद्ध व्यक्तियों के लिए यह आवश्यक नहीं। यथा यदि कोई व्यति कई वर्षों तक समाज का नियमित सदस्य रहा हो, तो उसके मामले में यह सिद्ध कठिन न होगा कि अपने विवाह के समय वह आर्य समाजी था। परंतु यदि वह नियमित सदस्य न रहा हो, तो विवाह के कई वर्षों के पश्चात यह प्रश्न उठ सकता है कि विवाह के समय वह आर्य समाजी था या नहीं? ऐसे मामलों में पहले से लिखित सबूतों का रखना अच्छा होता है, परंतु यह तो केवल किसी प्रकार की तथ्य (फैक्ट) की बात है। जहाँ तक कानून का संबंध है, अपने को आर्य समाजी उद्‌घोषित करने वाला व्यक्ति आर्य समाजी माना जाएगा।

यह स्मरण रखना चाहिए कि इस एक्ट के अनुसार विवाह के समय वर और वधू दोनों का ही आर्य समाजी होना आवश्यक है। दोनों में से केवल एक का आर्य समाजी होना पर्याप्त न होगा। इस प्रकार के विवाहों की रक्षा इस एक्ट से न होगी।

यह स्पष्ट है कि विवाह करने वाले स्त्री-पुरुष अर्थात वर और वधू विवाह के समय आर्य समाजी होने चाहिए। जिसका अर्थ यह है कि विवाह संस्कार से पूर्व किसी भी क्षण शुद्धि अथवा अन्य प्रकार से उनको आर्य समाजी बना हुआ ही होना चाहिए। और ऐसा होने पर उनका विवाह जयज़ होगा। चाहे,वे भिन्न जातियों के भी क्यों न हो। और इस विवाह के एक वार जायज़ रूप से हो जाने पर विवाह के पश्चात यदि वर और वधू अपना धर्म भी बदलते, तब भी विवाह जायज़ बना रहेगा।

५) अवैध नहीं होगा और न कभी अवैध रहा हुआ समझा जाएगा।

धारा में ये शब्द मतबल से रके गए हैं। इसका अर्थ यह है कि कोई विवाह होने की तिथि से ही जायज़ हो जाता है। न कि इस कानून के पास होने की तिथि से। अतः इस कानून के पास होने के पूर्व के अंतर जातीय विवाहों को भी जो आर्य समाजियों के बीच हुए हैं, यह एक्ट जायज़ बनाता है। यह स्पष्ट है कि इस एक्ट का पूर्ववर्ती असर है। प्रारंभ से ही यह विवाहों को जायज़ करार देता है। यद्यपि यह ठीक है कि इस कानून के पास होने पर ही विवाह जायज़ बनता है। यदि इस कानून के अमल मेंआने से पहले किसी विवाह के जायज़ होने का प्रश्न कानून के अमल में आने के पश्चात उठता है, तो वह विवाह जायज़ समझा जाएगा। परंतु यदि इस कानून के पास होने से पूर्व किसी विवाह के जायज़ होने का प्रश्न उठा हो और वह निर्णित भी हो गया हो, तो यह कानून बहुत संभवतः सहायक न होगा। और इस कानून के आधार पर वही प्रश्न कदाचित पुनः न उठाया जा सकेगा?

जिस दिन विवाह हुआ, उसी दिन से विवाह के जायज़ हो जाने के कारण से इस विवाह से उत्पन्न समस्त बच्चे जन्म से ही जायज़ हो जाते हैं।

केवल इस बात से कि वे किसी समय हिंदुओं की भिन्न जाति या उपजाति के थे, या कि उनमें से एक या दोनों विवाह से पूर्व किसी समय हिंदू धर्म से विभिन्न धर्म के थे।

'केवल' शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। यह कानून केवल एक कठिनाई को दूर करता है और सिर्फ उसी एक को इससे अधिक नहीं। हिंदू लॉ के अनुसार वर और वधू को मजबूरन एक ही जाति या उपजाति का होना चाहिए, यह इसी बाधा को दूर करता है।

ब्रिटिशि अदालतों में 'हिंदू लॉ' की जो व्याख्या की जाती है, वह यह है कि जायज़ विवाह के लिए वर और वधू एक ही जाति के होने चाहिए। यदि वे एक ही जाति के नहीं है, तो उनके विवाह के जायज़ होने में आशंका होती है। आर्य मैरेज एक्ट के द्वारा इस कठिनाई को दूर करने की योजना की गई थी और वस्तुतः इस एक्ट के बन जाने से वह पूर्णतया दूर भी हो गई है। आर्य समाजियों का कोई विवाह नाजायज़ न होगा, केवल इसलिए कि वर और वधू एक ही जाति के न थे। विवाह से संबंध रखने वाली और कोई कठिनाई दूर नहीं की गई है। अतः आर्य मैरेज एक्ट के अनुसार होने वाले विवाह अन्य सब वातों में जायज़ होने चाहिए।

इस एक्ट से केवल अंतर जातीय वा अंतर उपजाति विवाह जायज़ होते हैं। यह नहीं, वरन् शुद्धि के विवाह भी जायज़ होते हैं।

या कि उनमें से एक या दो दोनों विवाह से पूर्व किसी समय हिंदू एतर धर्म (हिंदू धर्म से विभिन्न धर्म) के थे।

इन शब्दों में शुद्धि के तमाम विवाह आ जाते हैं। यदि वर और वधू में से कोई एक अथवा दोनों विवाह से पहले हिंदू नहीं थे और यदि विवाह से पूर्व किसी समय हिंदू धर्म स्वीकार करके वे आर्य समाजी बन गये थे, तब इस कानून से उन विवाहों की भी रक्षा होगी। परंतु यह ध्यान में रखना चाहिए कि **शुद्धि सदैव विवाह से पहले होनी चाहिए न कि बाद में।**

यह नितांत आवश्यक है कि हिंदू वर या वधू अपना धर्म विवाह से पहले बदलें। यह चाहें एक क्षण पूर्व ही क्यों न हो। परंतु धर्म परिवर्तन विवाह से पूर्व ही होना चाहिए। यदि विवाह पहले और शुद्धि पीछे हुई, तो विवाह इस एक्ट से जायज़ न बन सकेगा। इसलिए यह बात सुस्पष्ट ध्यान में रहें कि शुद्धि वाले कुल विवाहों में शुद्धि अर्थात् धर्म परिवर्तन पहले होना चाहिए और विवाह उसके बाद।

परिशिष्ट (१)

१) आर्य समाजी की परिभाषा

सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा की अन्तरंग सभा का निश्चय

आर्य विवाह एक्ट के लिए आर्य समाजी की परिभाषा नियत करने के संबंध में निश्चय हुआ कि इस सऊचभा की स्थिर संमति है कि आर्य समाज के उप नियमों में 'आर्य' और 'आर्य सभासद' की जो परिभाषा है, वह केवल आर्य समाज के संगठन के लिए ही है और विस्तृत आर्य जगत् के लिए नहीं है। अतः जो निम्न घोषणाओं पर हस्ताक्षकर करेंगे, वे आर्य विवाह एक्ट की मंशा के भीतर आर्य समाजी होंगे, इसमें संदेह नहीं।

नोट - घोषणा - पत्र अगले पृष्ठों पर अंकित है।

आर्य विवाह एक्ट संबंधी

घोषणापत्र सं. १

मैं .... पुत्र/पुत्री .... निवासी/निवासिनी .... तहसील .... जिला .... आयु............ पेशा.......... घोषणा करता/करती हूँ कि मैं आर्य समाजी हूँ और श्रीयुत ....के पुत्र । पुत्री .... के साथ जिसकी अवस्था .... की है और जो आर्य समाजी है विवाह करना चाहता/चाहती हूँ।

.... **ह. घोषणा करने वाला/वाली**

हमारे सामने उक्त घोषणा की गई और हस्ताक्षर भी हुए

....

ह. मंत्री ह. प्रधान

आर्य समाज .... आर्य समाज ....

तारीख .... तारीख ....

हस्ताक्षर अन्य उपस्थित सज्ञन गण।

घोषणा पत्र सं २

मैं .... पुत्र/पुत्री .... निवासी/निवासिनी .... तहसील .... जिला .... आयु............ .... पेशा .... घोषणा करता/करती हूँ कि

तिथि .... को .... (स्थान) मैं शुद्धि कराके मैं आर्य समाजी हो गया/ यी हूँ। मैं यह भी घोषणा करता/ करती हूँ कि शुद्धि से पूर्व मैं ...... था / थी।

ह. ....

घोषणा करने वाला /वाली।

तारीख ....

हमारे सामने उक्त घोषणा की कगई और हस्ताक्षर हुए।

....

....

ह. मंत्री ह. प्रधान

ार्य समाज .... आर्य समाज ....

तारीख .... तारीख ....

ह. अन्य उपस्थित सज्जन गण

घोषणा पत्र सं. ३

(१९३७ से पूर्व हुए विवाहों के लिए)

मैं .... पुत्र/पुत्री .... निवासी / निवासिनी .... डाकघर .... तहसील .... जिला .... आयु.......... व्यवसाय.......... दिनांक ...... सन् .... को श्रीमान/श्रीमती .... के पुत्र/पुत्री .... आयु .... व्यवसाय ... के साथ विवाही गई थी । विवाहा गया था और यह घोषित करता/करती हूँ कि इस विवाह से पूर्व और अव भी आर्य समाजी हूँ।

नोट : - इस घोषणा पत्र को लिखते समय की तारीख दें।

स्थान .... हस्ताक्षर ...... दिनांक ....

१). ह. साक्षी .... २) ह. साक्षी ....

प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाताहै कि उपर्युक्त घोषणा-पत्र सत्य है औक उपर्युक्त घोपित विवाह आर्य समाज .... द्वारा सम्पन्न हुआ था।

दिनांक..... ह मंत्री ..... ह. प्रधान.......

आर्य समाज ....

घोषणा पत्र सं. ४

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीयुत् ...... के सुपुत्र ..... निवास स्थान .... डाकखाना ...... जिला....... प्रा. त. .... विवाह संस्कार की तिथि .... ई/वि.सं. को श्रीयुत् .... की सुपुत्री .... निवास स्थान ...... डाकखाना .... जिला.......... प्रान्त............ के साथ आर्य समाज .... में पुरोहित श्री..... द्वारा कराया गया। वर-वधू के विस्तृत विवरण इस पत्र के पृष्ठ भाग पर अंकित है।

ह. .... ह. ....

प्रधान मंत्री

आर्य समाज...... आर्य समाज ....

ता. .... ता. ....

ह. .... पुरोहित आर्य समाज ......ता. ....

नोट - इस प्रमाण पत्र की १ प्रति आर्य समाज की फाइल में रहेगी और दूसरी वर-वधू को दी जाएगी।

www.thearyasamaj.org

परिशिष्ट (२)

मूल बिल

माननीय श्री घनश्याम सिंह जी द्वारा प्रस्तुत

A Bill To

Recognise and remove doubts as to the validity of inter-marriages current among Arya Samajists.

Whereas it is expedient to recognise and place beyond doubt the validity of inter-ma-rriages of Arya Samajists; It is hereby enacted as follows :-

(1) This Act may be called the A rya Short title Marriage Validation Act, 1935. and extent.

(2) It shall apply to the whole of British India and shall apply to all cases that may come up for decision after the passing of this Act whether the marriage in question took place before or after the passing of this Act.

2. For the purpose of this Act 'Arya.Samajist'

Definition. means a person who :-

(a) is a member of any Arya Saroaj; or

(b) within five years :of the passing of this Act or within one year of his marriage (which ever period expires last) executes a written document declaring himself to be an-Arya Samajist or in terms equivalent thereto.

(c) is a member of the family, of, or a relative undef the mentioned dependent on, or a person guardianship of, any person in clause (a) or clause (b).

Explanation:- Where a document mentioned in clause (b) of section 2 is registered under the Indian Registration Act 1908, it shall be conclusive evidence of the fact of his being an Arya Samajist and no evidence shall be admissible to prove the contrary.

3. No marriage between Arya Samajists shall be invalid or -shall be deemed ever to have been invalid by _tenson of the parties having belonged to different castes or sub-castes of Hindus or to different religions, any law or usage or custom to **the contrary** notwithstanding.

4. For purposes of succession all inter marriages referred to in section 3 of this Act shall be deemed to be marriages between persons of the same caste of (Dwijas) the twice born Hindus.

परिशिष्ट (३)

(मूल बिल श्री चौ. मुख्तार सिंह जी द्वारा प्रस्तुत)

Arya Marriage Validation Bill

Whereas it is expedient that inter marriages amongst Arya Samajists May be legalised and their validity placed beyond doubt it is enacted as

1. This Act shall be called "The Arya Marriage Validation Act."

2. It shall apply to the whole of British India.

3. No marriage among the Arya Samajists shall be invalid on the ground that the husband and wife belonged before becoming Arya Samajists to different castes or sukastes of Hindus or to different religions, any law or usage or custom to the contrary notwithstanding:

Provided the parties must not be related to each other in any **degree of consanguinity or** affinity which would, according to the Laws of Manu render a marriage between theta illegal.

4. For the purposes of this act an Arya Samajist shall mean a person: whose name is borne on the register of members of an Arya Samaj affiliated to the Arya Sarvadeshik Sabha or to any of the Provincial Arya Representative Assemblies (by whatever name they be known) existing at present in any province or part of province or which may hereafter be established and registered according to law, and shall include members of his or her family and such relations as are dependent on him or her, although their names may not appear on the aforesaid register.

Statement of objects and reasons

As the Arya Samajists who form quite an appreciable number of the Indian population conscientiously believe that the present caste system is not in accordence with their scriptures, the Vedas, and as according to the law as administered at present marriages among couples belonging to different castes or sub-castes are considered invalid and there is a fear of the issue of such marriages being declared illegitimate as quite a large number of such marriages have taken place and more would have taken place had there been no such obstacles it is necessary to have a law which would give relief to the Arya Samajists. Hence the above short law is proposed.

www.thearyasamaj.org

आर्य समाज को राजनीति में आना चाहिए

- *खुशहालचंद्र आर्य*

यह तो सर्वविदित है कि देशको स्वतंत्र करवाने में आर्य समाज का बहुत बड़ा हाथ रहा है। स्वतंत्रता दिलाने में दो विचारधाराओं के व्यक्तियों ने काम किया है। एक धारा थी क्रांतिकारियों की हिंसा का रास्ता। दूसरी दारा थी महात्मा गाँधी की अहिंसा का रास्ता। आर्य समाज ने इन दोनों धाराओं में वढ़-चढ़कर भाग लिया था। वैसे तो महर्षि दयानंद द्वारा लिके सत्यार्थ प्रकाश में विदेशी राजा चाहे माता-पिता के समान अच्छा व शुभचिंतक ही क्यों न हो, फिर भी स्वदेशी राजा के समान नहीं हो सकता। इसलिए हर राष्ट्र को स्वतंत्र रहना उसका अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। इस बावना से सभी क्रांतिाकारी प्रेरित व प्रभावित थे और देश के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए उद्यत थे। उनमें भी सरदार भगत सिंह, जिसका दादा अर्जुन सिंह पक्का आर्य समाजी था, उसने अपना यज्ञोपवीत संस्कार महर्षि दयानंद के करकमलों से करवाया था और भगतसिंह कायज्ञोपवीत संस्कार भी आर्य समाज के प्रसिद्ध उपदेशक पं.लोकनाथ वाचस्पति से करवाया था। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा डी.ए.वी. कॉलेज, लाहौर तथा उसके पश्चात् नेशनल कॉलेज, लाहौर से हुई, जहाँ भाई परमानन्द तथा जयचंद्र विद्यालंकर आदि आर्य प्राध्यापकों से उन्हें देशभक्ति की दीक्षा मिली. रामप्रसाद बिस्मिल एक पक्के आर्य समाजी थे, जो आर्य संन्यासी स्वामी सोमदेवजी से प्रेरणा पाकर ही ही क्रांतिकारी बनो। वह हवन करके ही भोजन करते थे। काकोरी कांड में मृत्यु का आलिंगन करने से कुछ दिन पूर्व ही अपने कारागार की कोठी में बैठकर अपनी आत्मकथा लिखी। इसमें बिस्मिल ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि उन्हें स्वेदश हेतु समर्पित होने की भावना आर्य समाज से ही प्राप्त हुई। फाँसी के तख्त पर चढ़ते समय बिस्मिल ने 'ओ३म् विश्व नि देव' आदि आठ स्मृति प्रार्थोपासना के मंत्रों का उच्चारण किया था। भाई परमानंद एक पक्के आर्य समाजी थे और आर्य समाज के प्रचारक व डी.ए.वी. कॉलेज के प्राध्यापक भी रह चुके थे। वे पक्के क्रांतिकरी भी थे, विदेशों में उन्होंने क्रांति का बिगुल भी बजाया था। वाद में उसे काले पानी की सज़ा भी मिली. भाई हरदयाल एम.एस.बी. एक पक्के आर्य समाजी थे, जिन्होंने इंग्लैंड अमेरिका में जाकर क्रांतिकारी गतिविधियों को क्रियान्वित किया। भाई बालमुकुन्द, जो भाई परमानन्द के चचेरे भाई, थे, जिन्हें लार्ड हर्डिंग बम केस १९१४ में फाँसी की सज़ा हुई। इसके साथ ही मास्टर अमीरचन्द व अवध बिहारी को भी फाँसी की सज़ा मिली थी। ये दोनों भी पक्के आर्य समाजी थे। पं. सोहनलाल पाठक, जो अमृतसर के निवासी व दृढ़ आर्य समाजी थे, ये लाला हरदयालजी की प्रेरणा से क्रांतिकारी बने और फाँसी पर चढ़ाये गये। पं. गोदामल दीक्षित, जो मैनपुरी षड़यंत्र में पकड़े गये, वे पक्के आर्य समाजी थे, और जीवन पर क्रांतिकारी पथ पर चलतं रहे. अंत में काफी कमज़ोर होकर बीमार हो गये और गुज़र गये। पं. श्यामकृष्ण वर्मा, जो महर्षि के सुयोग्य शिष्य थे और उनके कहने से ही लंदन गये और वहाँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में संस्कृत के प्राध्यापक बने और इन्होंने इंडिया हाऊस की स्थापना की, जो भारतीय क्रांतिकारियों का कार्यक्षेत्र बना रहा। वहीं से सभी क्रांतिकारी गतिविधियाँ चलती रही। इन्हीं गतिविधियों के कारण ही श्यामजी कृष्ण वर्मा को लंदन छोड़कर फ्रांस जाना पड़ा और वहाँ से वे स्वीज़रलैंड चले गये। पर पूरी आयु क्रांतिकारी गतिविधियों में ही संलग्न रहे। इनको क्रांतिकारियों का सम्राट भी कहा जाता है। इन्होंने फाँसी जाने से पहले इंडिया हाऊस का पूरा काम वीर सावरकर जिम्मे कर दिया था और स्वारकर ने पूरी जिम्मेवारी से उसे संभाला. भारत का कोई भी नेता इंग्लैंड जाता था, तो वह इंडिया हाउस में जाकर वीर सावरकर से ज़रूर मिलता था। अफ्रीका से महात्मा गांधी यहाँ आये थे, तव वे भी इंडिया हाउस में सावरकरजी से मिलने आये थे, पर विचारों की भिन्नता बनी रही। लाला लाजपतराय, भाई हरदयाल, भाई परमानन्द आदि यहाँ बराबर आते रहते थे। मदनलाल धिंगड़ा ने कर्नल वाईली, जो क्रांतिकारियों पर अत्याचार करने वालों को प्रोत्साहन देता था और सरदार ऊधम सिंह ने सर माइकल ओ डायर, जिसने जालियन वाला बाग में गोली चलाने के लिए जनरल डायर को धन्यवाद दिया था, इन दोनों को उन्होंने इंडिया हाउस में रहते हुए भी मारा था. बारत के क्रांतिकारियों के संबंध इंडिया हाउस से बने रहे थे और सावरकर उनको हथियार आदि सामान भेजते रहे थे। सन १८५७ की क्रांति को जहाँ अंग्रेज़ों ने सेना उपद्रव की संज्ञा दी थी, उसी को सावरकरजी ने स्वतंत्रता संग्राम बताकर उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी। गोरी सरकार ने उस पुस्तक पर छपते ही प्रतिवंध लगा दिया था, परंतु सावरकर ने उस पुस्तक को गुप्त रूप से भारत में भगत सिंह के पास भेज दी थी, जिससे क्रांतिकारियों को बड़ी प्रेरणा मिली और उसी प्रकार मुकदमा बनाकर अंग्रेज़ों ने वीर सावरकर को दो उम्र की काले पानी की सज़ा सुनाई और उन्हें अंडमान की कालकोठरी में सावरकर के ऊपर अमानवीय अत्याचार ढाये। पर सावरकर कभी भी अत्याचारों से भयभीत होकर विचलित नहीं हुए।

दूसरा पक्ष, जो गांधीजी का अहिंसा था, उसमें भी लाला लाजपतराय, स्वामी श्रद्धानंद जैसे पक्के आर्यसमाजियों ने आंदोलनों में खूब बढ़-चढ़कर भाग लिया था। सन १८८५ में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस को आर्य समाज ने पर्याप्त सहयोग प्रदान किया। सन १८८८ में इलाहाबाद अधिवेशन में सम्मिलित होने वाले आर्यों में प्रमुख लाला लाजपतराय और लाला मुरलीधर थे। सन १८८९ में लाहौर की सारी व्यवस्था आर्य नेता लाला मुलराज तथा महाशय जायसीराम ने की थी। महात्मा गाँधी जब दक्षिण बारत के कार्यों को समाप्त कर भारत में आये, तो बारत में उन्हें आर्यों द्वारा सक्रिय सहयोग और समर्थन प्राप्त हुआ। देश के लाखो आर्यसमाजी गाँधी द्वारा संचालित सविनय अवज्ञा व असहयोग आदि आंदोलनों में सम्मिलित हुए तथा उन्होंने महात्मा गाँधी के सत्य, अहिंसा आदि सिद्धांतों को स्वीकार

करते हुए स्वदेशी का वृत धारण किया। विदेशी वस्त्रों का वहिष्ककार,नशा निवारण, दलितों द्वारा नारी शिक्षा, शराब बंदी, गोरक्षा आदि के रचनात्मक कार्यों में भी आर्य समाजी किसी से पीछे नहीं रहे। इस प्रकार स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए हज़ारो आर्यो ने कारागार की यातनाएँ तथा अन्य प्रकार के कष्ट सहर आज़ादी का पथ प्रशस्त किया। लाला लाजपतराय और स्वामी श्रद्धानंद को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। पंजाब में स्वामी दयानंद से सीधी प्रेरणा प्राप्त कर लाला सायदास, लाला लाजपतराय तथा उनके अपूर्व त्याग ने उन्हें 'लाल, बाल, पाल' की बृहत्त्रयी में स्थान दिलाया। लाला, जो कि लारनैतिक प्रवृत्तियों का सूत्रपात उनकी प्रसिद्ध रावलपिंडी यात्रा से माना जा सकता है, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर मांडले जेल में बंदी के रूप में रखा गया। इसी समय सरकार अजीत सिंह, जो भगत सिंह के चाचा थे, उनको भी मांडले के जेल में रका गया, परंतु इन दोनों को परस्पर मिलने नहीं दिया गया। अजीत सिंह जेल से रिहा होकर सरकार की नज़रों से बचकर अफगानिस्तान के रास्ते विदेश चले गये। इधर लालाजी साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करते हुए लालाजी ने अपनी पीठ पर गोरी पुलिस के डंडों के प्रहार झेले, जो अंततः ब्रिटिश शासनके लिए ताबूत की कील के चुल्य साबित हुए। लालाजी की मृत्यु का बदला लेने के लिए भागत सिंह ने अंग्रेज़ सार्जेंट साण्डर्स का वध किया था। लालाजी द्वारा स्थापित लोकसेवक संस्थान के माध्यम से देशसेवा को अपने जीवन का वृत बनाने वालों में श्री पुरुषोत्तमदास टंडन, लाला वहादुर शास्त्री व श्री अलगुराम शास्त्री आदि के नाम उल्लेखनीय है। गांधीजी जब अफ्रीका से भारत में आये, तो सबसे पहले वे स्वामी श्रद्धानंद से मिलने गुरुकल कांगड़ी गये और वहीं पर स्वामीजी ने गाँधीजी को महात्मा लगाकर संवोधित किया। तभी से सभी लोग गाँधीजी को महात्मा गाँधी कहने लगे। गाँधीजी स्वामी श्रद्धानंद को अपना भाई मानते थे, इसलिए स्वामीजी गाँधीजी के अहवान पर काँग्रेस में आये। सन १९१९ में लाहौर के अधिवेशन में उन्होंने अपना स्वागत भाषण हिन्दी में दिया. यह काँग्रेस के इतिहास में एक अनोखी घटना थी। रौलट एक्ट के विरोध में दिल्ली की जनता का नेतृत्व करते हुए इस निर्भिक संन्यासी ने अपनी छाती पर संगीनों का वार झेलने का जो साहस प्रदर्शित किया, वह हमारे स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास का एक ज्वलंत उदाहरण है।

पट्टाभिसीतारामैय्या, जो पक्का काँग्रेसी था और गांधीजी का प्रिय था, जिसके लिए सुभाष वाबू से हारने के बाद कहा था कि पट्टाभिसीतारामय्या की हार मेरी हार है। उसी ने काँग्रेस का इतहिास लिका है, जिसमें लिखा है- सन १९४२ के आज़ादी के आंदोलन में जेलों में ८५ प्रतिशत आर्य समाजी ही थे,जो नित्य हवन करके ही भोजन करते थे। देश की आज़ादी की लड़ाई में जितने भी आर्य समाजी थे, भजनोपदेशक थे, आर्य समाज के जितने भी मंदिर थे, वे क्रांतिकारियों के आश्रमस्थल थे, जनिमें बाठकर वे भविष्य की योजनाएँ वनाते थे। आर्य समाज कलकत्ता को भी यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जब भगत सिंह संसद में बम फेंकने के बाद दुर्गाभाभी के साथ गुप्त रूप से कलकत्ता आये थे, तब कुछ दिनों तक भगत सिंह आर्य समाज कलकत्ता में ठहरकर बंगाल के क्रांतिकारियों से मिले थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि आर्य समाज ने क्रातिकारियों का तथा गाँधीजी का इतना अधिक साथ दिया था, जिसके कारण सभी आंदोलन सफल हुए।

दुख की वात यह है कि आर्य समाज़ियों द्वारा इतना अधिक बलिदान देने के बाद भी जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो हमारे शीग्र नेताओं ने दूरदर्शिता का परिचय न देकर यह कहा कि आर्य समाज तो एक धार्मिक तथा सामाजिक संस्था है, उसको राजनीति से क्या लेना-देना और शासन करने मे अलग हो गये। यदि आर्य समाज आज़ादी मिलने के बाद सासन के साथ रहता और अपने आर्य समाजी भाइयों को जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने जीवन की आहुति दी थी, उने बेटे-पोतों का एमएलए व एम.पी. बनाकर बेजते और शासन में हिस्सेदारी रखेते, तो आज देश की दयनीय व शोचनीय दसा हो रही है, वह नहीं होती। आज तो गौ माता को काटा जा रहा है। वह नहीं कटा जाती, यानि गो हत्या पर पूर्ण प्रतिवंध होता। आज जो देश में पश्चिमी शिक्षा व सभ्यता जिस गति से बढ़ रही है, वह नहीं वढ़ती और देश में गुरुकुल, संस्कृत पाठशालाएँ तथा हिन्दी माध्यम से चलने वाले स्कूलों, कॉलेजों की अधिकता होती और देश के नवयुवक धार्मिक और चरित्रवान वनते, तो देश में आज जितनी बेईमानी, भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता, लूट-खसोट, रिश्तरखोरी, महँगाई, बेरोजगारी, गुंडों-बदमाशों का प्रभुत्व इतना अधिक बढ़ा हुआ है, जिससे आम जनता दुखी ही नहीं, वल्कि त्राहि - त्राहि कर रही है, वह दुखी न होकर सुख व शांति की नींद सोती। यह हमारे आर्य समाज के शीर्ष नेताओं की भूल है, जिसका दंड आज सबी देशवासी भुगत रहे हैं।

जब स्व. स्वामी इंद्रवेश व स्वामी अग्निवेश अपने कार्यक्षेत्र में उतरे, तो उन्होंने इस बात पर विचार किया था कि यदि हम आर्य राज्य भारत में लाना चाहते हैं, तो हमें राजनीति में आना होगा। कारण चाहे कोई बी धर्म हो, जब तक उसे राज्य सत्ता का सहारा नहीं मिलता है, तव तक वह नहीं फैल पाता। उदाहरण के रूप में बौद्ध धर्म अपनी मंद गति से चल रहा था। तव तक नहीं फैल सका। जैसे हीराजा अशोक ने वौद्ध धर्म को अपना लिया, तो कुछ ही समय में यह धर्म चीन, जापान, इंडोनेशिया, तिब्बत, ब्रह्मदेश तथा लंका तक के छोटे देशों में भी पैल गया। मुस्लिम और ईसाई धर्म का भी यही इतिहास है।यही विचार करके दोनों देशों ने आर्यो का एक राजनीतिक मंच 'आर्य सभा' के नाम से गठित किया और सन १९७७ के चुनाव में हरियाणा में दो एम.एल.ए. स्वामी अग्निवेश और स्वामी आदित्यवेश वने, जिनमें स्वामी अग्निवेश हरियाणा के शि७ामंत्री वने और काफी सुधार के काम किये। परंतुसन १९७५ में जव जय प्रकाश नारायण ने काँग्रेस के विरोध में बाकी सब पार्टियों को एक मंच पर 'जनता पार्टी' के नाम से आने का अहवान किया, तब सब पार्टियों के साथ 'आर्य सभा' को भी मिलाना उचित समझा। इसमें किसी का दोष नहीं, यह तो समय की माँग थी। पर दुक तो इस बात का है कि 'जनता पार्टी' टूटने पर अन्य पार्टियों ने तो किसी भी दूसरे नामों से अपना अस्तित्व बना

का भीषण संकट पैदा हो जाएगा। बच्चों को भी दूध नहीं मिल पाएगा। इधर सरकार है कि महँगी विदेशी मुद्रा कमाने के लिए गाय और भैंस के माँस का निर्यात बहुत अधिक बढ़ाती जा रही है। गाय, भैंस के माँस के निर्यात के आँकड़े देश की आत्महत्या की समान लग रहे हैं। सन २००९ में भारत ने छह लाख टन माँस का निर्यात किया था। सन २०१० में सात लाख २५ हज़ार टन, २०११ में १२ लाख टन और सन २०१२ में १५ लाख टन माँस का निर्यात हुआ था। सन २०१३ में २१ लाख टन माँस के निर्यात का अनुमान है। माँस का निर्यात करने वाले देशों में भारत २००७ में १५वें स्थान पर था। २०१२ में दूसरे स्थान पर और अनुमान है कि २०१३ में पहले स्थान पर पहुँच जाएगा। इधर १२वी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार द्वारा २७ हज़ार करोड़ रुपयों की लागत से नये, अति आधुनिक बूचड़खाने बनवाने की योजना है। अब तो देश के गौमांस उत्पादन प्रांतों में भी सरकार की इस नीति के भयानक परिणामों की चर्चा होने लगी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश गौमांस आपूर्ति का बड़ा प्रसिद्ध क्षेत्र है। यहाँ के 'गौ मांस निर्यात रोको संगठन' के अधिकतम सदस्य किसान और कसाई हैं। सहारनपुर में गौमांस निर्यात का विरोध करनेवाले संगठन के संयोजक मुहम्मद इरफान ने बयान दिया है कि यदि गाय और भैंस के माँस का निर्यात रोका नहीं गया, तो बच्चों को भी दूध नहीं मिल पाएगा। सरकार माँस के निर्यात से महँगी विदेशी मुद्रा कमाकर विदेशों से दूध का पाउडर मँगाने की योजना में है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़िल ने माँस का निर्यात कम कर दिया है, जबकि भारत वर्ष के नीति-निर्माता अपने देश के पशुओं का वध करके विदेशी मुद्रा कमाने के लोभ में हैं। विदेशी ऋण चुकाने की किश्त, ऋण पर ब्याज और आयात का मूल्य सब मिलाकर हमारे निर्यात से बहुत अधिक है और सरकार अपनी अदूरदर्शी हानिकारक नीतियों के कारण विदेशी कर्ज के मकड़जाल में फँस गई हैं। फलस्वरूप हमारा विदेशी मुद्राकोष घट रहा है। हो सकता है कि हमें सोना फिर गिरवी रखना पड़े।

लिया, परंतु आर्यसमाज अपनी फूट के कारण अपना कोई भी अस्तित्व नहीं बना सका।

आर्य समाज एक धार्मिक व जनकल्याणकारी संस्थान है। इसे राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए, यह एक गलत और भ्रामक प्रचार है। वेदों में आर्यों को चक्रवर्ती राजा बनने तक ही आज्ञा है और हमारे देश में आर्य राजा श्रीराम और युधिष्ठिर आदि चक्रवर्ती राजा बने भी है। महर्षि दयानंद का स्वप्न भी यही था कि आर्यों का विश्व में चक्रवर्ती राज्य स्थापित हो। जब हमें वेद और महर्षि दयानंद ही चक्रवर्ती राजा बनाने की आज्ञा देता है, तो हमें राजनीति में भाग क्यों नहीं लेना चाहिए? मेरे विचार से आर्य समाज को राजनीति में भाग अवश्य ही लेना चाहिए। यदि नहीं लेता है, तो वह अपने कर्तव्य से चुत होता है।

हमें 'कृण्वन्तों विश्वम आर्यम' के उद्घोष का ध्यान रखते हुए वेदों के सिद्धांतों का प्रचार व प्रसार जितना अधिक कर सके, उतना अधिक करते हुए लोगों का तन, मन, बुद्धि व आत्मा से आर्य बनाकर उनको चुनावों में विधायक व सांसद बनाकर विधानसभाओं व संदस में भेजना होगा। ताकि आर्यों का ही प्रदेश व केंद्र में मंत्रिमंडल बन सके, तभी भारत में रामराज्य की पुनः स्थापना हो सकेगी। इसलिए आर्य समाजियों का यह पावन कर्त है कि जब उसने सदैव ही देश की रक्षा की है, तो अब क्यों मुख मोड़ता है। इसको चाहिए कि वह सब सच्चे भारतीयों को जो भारत भूमि को ही अपनी मातृ-पितृ तथा पुण्यभूमि मानता है, उन सबको संगठित करके एक 'ओ३म्' के झंडे के नीचे लाकर देश के आर्यों (सच्चे इंसानों) का राज्य स्थापित करें और भारत भूमि को 'स्वर्ग भूमि' बनावे। यदि आर्य समाजियों ने यह काम नहीं किया, तो फिर पीछे हमें पछताने के अलावा और कुछ हाथ नहीं लगेगा।

काका हाथरसी ने आर्य समाज के लिए ठीक ही कहा था

गोरे, बारत नहीं छोड़ते, राजी-राजी।
अगर न देते योग देश के आर्य समाजी।

उपेक्षा का परिणाम यदि संकटग्रस्त मिस्र में गृहयुद्ध होता है तो वहां भी इराक की तरह अलकायदा को बेहद ताकतवर बनने से अमेरिका कदापि रोक नहीं सकेगा। और इसके भयानक परिणाम समूचे अरब जगत को भुगतने पड़ जाएंगे। 2014 में आतंकवादी तालिबान को खात्म किए बिना अफगानिस्तान को अमेरिका अलविदा कह देने के मंसूबे बना रहा है। यदि ऐसा हुआ तो अफगानिस्तानपहले की तरह से तालिबान के आधिपत्य में जा सकता है, क्योंकि करजई हुकूमत में वो ताकत नहीं है कि तालिबान को रोक सके, जबकि तालिबान को पाक फौज की परोक्ष हिमायत हासिल रही है।

अमेरिकी हुकूमत अपने तात्कालिक आर्थिक और सामरिक हितों के कारण प्रायः तानाशाह ताकतों की हिमायत करती रही है। इनमें सऊदी अरब की शेख हुकूमतों से लेकर अनेक देशों की फौजी हुकूमतें शामिल रही हैं। पाकिस्तान की फौजी हुकूमतों का समर्थन और सहायता सदैव अमेरिका करता ही रहा है, इनमें जनरल अयूबखान, जनरल याहियाखान, जनरल जिआ-उल-हक, जनरल मुशर्रफ की हुकूमतें बाकायदा शामिल रही हैं। लोकतांत्रिक भारत के स्थान पर पाकिस्तान को अमेरिकी कूटनीतिज्ञों ने कहीं अधिक अपना समझा और माना है। कश्मीर को हड़पने के तमाम मंसूबों को पाक हुकमरानों ने जेहादी आतंकवाद के बलबूते सदैव आगे बढ़ाया है। कश्मीर में विगत 25 वर्षों से जारी रहे जेहादी आतंकवाद की ओर से निरंतर आंखें मूंदे रखना आतंकवाद के प्रति अमेरिका की पाखंडपूर्ण दोहरी नीति का प्रबल परिचायक है। सीरिया में अमेरिकन दखलंदाजी फिलहाल रशियन राष्ट्रपति पुतिन की पहल पर टल गई है, किंतु यहां भी अमेरिका सीरिया में लोकतंत्र की स्थापना की आड़ में अपना तेल साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। सीरिया के राष्ट्रपति असद को उखाड़ फेंकने में सबसे अधिक जोर अलकायदा के सक्रिय विद्रोही ही लगा रहे हैं, ताकि शिया हुकूमत को उखाड़ कर कट्टर सुन्नी वर्चस्व स्थापित किया जा सके। जबरदस्त सैद्धांतिक प्रतिबद्धता के साथ ही अमेरिका द्वारा अलकायदा को पूर्णतः पराजित किया जा सकता है। किसी किस्म की कूटनीतिक खुदगर्जी और आर्थिक लिप्सा लालच से अमेरिका को अंततः कुछ हासिल न हो सकेगा। ग्लोबल जेहादी आतंकवाद को निर्णायक रूप से परास्त करने के लिए अमेरिका को भारत के साथ ही रशिया और चाइना को भी साथ लेकर चलना होगा। विश्व की समस्त धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शक्तियां मुजाहिद आतंकवाद के सवाल पर अमेरिका के साथ मजबूती के साथ खड़ी हो सकती हैं, बशर्ते अमेरिका अपनी नीयत को एकदम साफ रखे और अपनी साम्रज्यवादी मानसिकता से यथाशीघ्र निजात पाए।

www.thearyasamaj.org

बंधुआ मजदूरी उन्मूलन पर राष्टोय सेमिनार का आयोजन

आई0एल0ओ0 की निदेशक सुश्री टिन स्टिअरमोस, बंधुआ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश जी एवं श्रम एवं रोजगार राज्य केन्द्र मंत्री श्री कोडिकुन्निल सुरेश

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के ओबरॉय होटल में दिनांक 8 अक्टूबर, 2013 को श्रम मंत्रालय, भारत सरकार एवं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आई0एल0ओ0) के संयुक्त तत्वावधान में **"बंधुआ मजदूरी उन्मूलन"** विषय पर राष्टोय सेमिनार का आयोजन किया गया।

सेमिनार का उद्घाटन भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार राज्य केन्द्र मंत्री श्री कोडिकुन्निल सुरेश ने किया गया। उद्घाटन समारोह में प्रतिभागियों को सम्बोधित करते हुए आई0एल0ओ0 की निदेशक सुश्री टिन स्टिअरमोस, श्रम एवं रोजगार राज्य केन्द्र मंत्री श्री कोडिकुन्निल सुरेश, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के महानिदेशक श्री ए0 के0 जेना, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के निदेशक श्री राजीव सदानन्दन ने अपने विचार व्यक्त करते हुए भारत सरकार एवं आई0एल0ओ0 के प्रयास से बंधुआ मजदूरी उन्मूलन के लिये किये गए विकासात्मक एवं सफल कार्यों के आंकड़े प्रस्तुत किये।

उद्घाटन समारोह के पश्चात फोर्सड लेबर के खात्मे के लिए अन्तर्राष्ट्रीय लिगल फ्रेमवर्क पर बोन्डेड लेबर प्रोजेक्ट, आई0एल0ओ0 की नेशनल प्रोजेक्ट मेनेजर श्रीमती भारती बिरला ने प्वार प्वाइंट प्रजेंटेशन दिया।

www.thearyasamaj.org

इसके पश्चात सत्रवार श्री श्री ए0 के0 जेना, महानिदेशक श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार ने बंधुआ मजदूरो उन्मूलन अधिनियम, 1976 के समस्त सेक्शन के साथ केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की भूमिका पर प्रकाश डाला। इसी क्रम में श्री ए0के0 गर्ग रजिस्ट्रार (लॉ), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बंधुआ मजदूरी उन्मूलन में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका को बारिकी से प्रस्तुत किया।

सांयकालीन सत्र में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री लक्ष्मीधर मिश्रा, नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, दिल्ली के प्रोफेसर श्री बाबू मेथ्यू, ऑल इण्डिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की सचिव श्रीमती अमरजीत कौर, स्वयं सेवी संगठन जिविका, कर्नाटक के निदेशक श्री किरण कमार ने भारत को बंधुआ मजदूरी से मुक्त बनाने के लिए कई तकनीकिय सुझाव प्रस्तुत किये।

समारोह के अंतिम सत्र में आन्ध्र प्रदेश के श्रम आयुक्त डॉ0 ए0 अशोक, उडिसा कि श्रम आयुक्त श्रीमती शालिनी पंडित, उत्तर प्रदेश के श्रम आयुक्त श्रीमती शालिनी प्रसाद, झारखण्ड के प्रमुख श्रम सचिव श्री विष्णु कुमार, छत्तीसगढ़ के श्रम आयुक्त डॉ0 जितेन्द्र कुमार ने राज्यवार बंधुआ मजदूरों के मुक्ति व पुनर्वास के आंकड़े तथा श्रम संबंधित योजनाओं के सफलतम् सूत्र प्रस्तुत किये।

समारोह में बंधुआ मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष स्वामी अग्निवेश जी ने भारत के माथ पर लगे बंधुआ एवं बाल मजदूरी के कलंक को मिटाने हेतू न केवल भारत सरकार को, बल्कि आई0एल0ओ0 के साथ समस्त स्वयं सेवी संगठनों व ट्रेड यूनियनों से अपील करते हुए उन्हें बंधुआ मजदूरी और बाल मजदूरी के विषय पर अत्यन्त संवेदनशील और सिरियस होने का सुझाव दिया। साथ ही में स्वामी जी ने 45 करोड़ असंगठित बंधुआ मजदूरों के मुक्ति व पुनर्वास की मांग करते हुए बताया कि 1983 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर मुख्य न्यायाधीश श्री पी0 एस0 भगवती के ऐतिहासिक फैसले का आज तक उल्लंघन हो रहा है। न तो बंधुआ मजदूरी उन्मूलन कानून का क्रियान्वयन ठिक ढंग से हो पा रहा है और ना ही बंधुआ मजदूरों के मुक्ति व पुनर्वास की योजनाओं का क्रियान्वयन होता दिखता ह। बाल मजदूरी उन्मूलन अधिनियम एक बाल मजदूर के साथ धिनोना मज़ाक है। समस्त राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सरकारो व गैर सरकारी संगठनों को एक मंच पर आकर देश के 45 करोड़ बंधुआ मजदूरों को मुक्ति व पुनर्वास की राह प्रदान करनी चाहिए और देश के असंगठितों को गुलामी और दासता से मुक्ति दिलानी चाहिए।

समारोह में विचार व्यक्त करने स्वामी अग्निवेश जी

आयोजित सेमिनार में बंधुआ मुक्ति मोर्चा के कार्यवाहक निदेशक श्री निर्मल गोराना सहित अनेक स्वयं सेवी संगठनों एवं ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों तथा कई सरकारी आला अधिकारियों ने भी भाग लिया।

निर्मल गोराना, कार्यवाहक निदेशक, बंधुआ मुक्ति मोर्चा

www.thearyasamaj.org

सभा के तेलंगाना आंदोलन से जुड़ जाने से उसकी गरिमा बढ़ी है
आर्य प्रतिनिधि सभा की अंतरंग बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकृति
निवर्तमान पदाधिकारी और सभासद बधाई के पात्र

आंध्र प्रदेश की अंतरंग बैठक का आयोजन राजमोहल्ला, स्थित नरेंद्र भवन में गत २० सितम्बर को सुबह ११.३० बजे किया गया। गायत्री मंत्र के पाठ के साथ बैठक की कार्यवाही शुरू की गई। इस बैठक में निवर्तमान पदाधिकारियों और सदस्यों को भी आमंत्रित किया गया था।

बैठक में सभा मंत्री श्री हरिकिशन वेदालंकार ने चुनाव प्रक्रिया की कार्यवाही को पढ़कर सुनाया। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों समेत अंतरंग सदस्यों, सार्वदेशिक प्रतिनिधि सभा के सभासदों एवं विशिष्ट सदस्यों के नाम भी पढ़कर सुनाये। सभी पुराने और नये सदस्यों ने करतल ध्वनि से हर्ष प्रकट किया। अधिकांश निवर्तमान सदस्यों ने सदन को बताया कि विगत तीन वर्षों में सभा ने

सराहनीय कार्य किया है। प्रांतीय राजनैतिक उथल-पुथल, जो तेलंगाना को लेकर हुआ है, उससे प्रचार कार्य में शिथिलथा ज़रूर आयी है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से तेलंगाना आंदोलन से सभा के जुड़ जाने से उसकी गरिमा बढ़ी है। कुल-मिलाकर विगत तीन वर्षों में आर्य प्रतिनिधि सभा आं. प्र. का कार्यकाल संतोषजनक और उत्साहवर्धक रहा है। निवर्तमान पदाधिकारी और सभासद बधाई के पात्र हैं। सभासदों ने अपने उद्‌गार प्रकट करते हुए कहा कि नवनिर्वाचित पदाधिकारियों और सभासदों आदि से आशा की जाती है कि जो भी त्रुटियाँ हैं, उनका निराकरण करते हुए भविष्य में नये आयाम प्रस्तुत करें। इस अवसर पर अनेक सुझाव प्रस्तुत किये गये। कतिपय सुझाव निम्न प्रकार हैं -

सभा प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर प्रचार करें। सत्र चलाएँ। समाजों में सभासदों और पदाधिकारियों ने अनबन होने से प्रचार कार्य ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसलिए सभासदों द्वारा अक-अक पदाधिकरी के जिम्मे कुछ समाजों की गतिविधियों को ठीक करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाए, जो समाजों की आर्थिक और संपत्ति के संरक्षण आदि का विवरण सभा को देंगे, ताकि सभा सकारात्मक कार्यवाही कर सके।

समाजों में पुरोहितों की व्यवस्था करना ज़रूरी है। सभा के द्वारा समय-समय पर समाजों के प्रचारकों और योग्य विद्वानों को भेजा जाए।

सभी समाजों के, जिनके छेटो-बड़े भवन हैं या संपत्ति है उन सबका रिकार्ड सभा में अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

सभा अपनी ओर से प्रचार के कुछ निर्देश समय-समय पर समाजों को देती रहे ताकि समाजों के सदस्य उनका प्रचार कर सकें। निम्न (४) व्यक्तियों को विशिष्ट सदस्यों के रूप में मनोनीत किया गया, जिनको सर्वसम्मति से स्वीकृति दी गई।

इस अवसर पर दशहरा जुलूस का नेतृत्व करने वाले श्री ार रामचंद्र कुमारजी उपमंत्री सभा को बधाई दी गई। पोस्टर्स का लोकार्पण किया गया। श्री गुरुनारायण स्वामी के पुत्र के आकस्मिक निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई और दो मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई।

श्री टीवी नारायणजी वरिष्ठ उपप्रधानजी ने आशीर्वचन दिया। मन्त्रीजी के धन्यवाद ज्ञापन से कार्यवाही समाप्त हुई।

श्रद्धांजलि

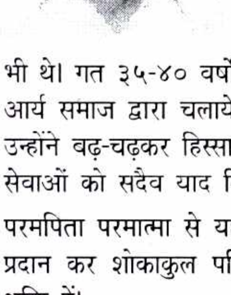

आर्य समाज सैदाबाद के मंत्री एवं आर्य प्रतिनिधि सभा आं. प्र. के अंतरंग सदस्य श्री भंडारी यादगिरी जी का ६० वर्ष की आयु में दि. १ अक्तूबर २०१३ मंगलवार के दिन आकस्मिक निधन हो गया। यादगिरीजी आर्य समाज के निर्भिक एवं कर्मठ कार्यकर्ता थे। वे एक अच्छे वक्ता भी थे। गत ३५-४० वर्षों से आर्य समाज में कार्यरत थे। आर्य समाज द्वारा चलाये गये तेलंगाणा आंदोलन में भी उन्होंने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था। उनके द्वारा की गई सेवाओं को सदैव याद किया जाएगा।

परमपिता परमात्मा से यह प्रार्थना है कि उनको सद्‌गति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दें।

www.thearyasamaj.org

RNI.No.52990/93 Reg. No. HD/783/2012-14 12-10-2013 आर्य जीवन

ఆర్య జీవన్

హిందీ-తెలుగు ద్విభాషా పక్ష పత్రిక

ఆర్య ప్రతినిధి సభ ఆంధ్రప్రదేశ్, 4 - 2 - 15
మహర్షి దయానంద మార్గము
సుల్తాన్ బజార్, హైదరాబాద్ - 500 095
ఫోన్: 040 - 24753827, 66758707, ఫ్యాక్స్:24557946
సంపాదకులు - విఠల్‌రావు ఆర్య, ప్రధాన్ సభ

दशहरा पर्व पर इस वर्ष के ध्वजधारी श्री रामचंद्रकुमारजी

(उप मंत्री आर्य प्रतिनिधि सभा आं. प्र.)

रामचंद्रकुमारजी रथारूढ होकर जुलूस का नेतृत्व करेंगे

రామచంద్ర కుమార్ సంక్షిప్త పరిచయము

హైదరాబాదు, సికిందరాబాదు జంటనగరాల్లో ఆర్యసమాజ క్షేత్రంలో రామచంద్ర కుమార్ ఒక ప్రముఖ కార్యకర్త. 50ఏళ్ళకు పైగా పాత పట్టణంలోని ఉమ్దాబజారు ఆర్య సమాజంలో సేవాకార్యక్రమాలు చేస్తూ ప్రస్తుతం ఆసమాజానికి అధ్యక్షునిగా, ఆర్యప్రతినిధి సభ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ (సుల్తాన్‌బజార్) సీనియర్ ఉపమంత్రిగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు.

జననము కుటుంబ పరిచయము : 20 ఏప్రిల్ 1945న ఒక సామాన్య బీదకుటుంబములో దూధ్ బౌలి, మహారాజ్ గంజ్‌లో రాజ్‌దార్‌ఖాన్‌పేట, రుక్మిణీ దేవీ నారాయణస్వామిగారు. వీరి తల్లిదండ్రులు ఒక సోదరుడు, వీరేంద్రకుమార్, (ప్రభుత్వ ఆయుర్వేద విభాగంలో డాక్టరుగా ఉద్యోగంచేసి ఫార్మసీ సూపరింటెండెంట్‌గా రిటైరయ్యారు). చిన్న సోదరుడు రాజేంద్రకుమార్ 21 ఏళ్ళ ప్రాయంలో అకాలమరణానికి గురయ్యాడు.

విద్యార్థి జీవితము : బాల్యంలో ఉమ్దాబజారులోని ప్రసిద్ధ శివమందిరంలో ప్రారంభమైన వీరి విద్యాభ్యాసము 1966 వరకు కొనసాగింది. నిజాంకాలేజీలో డిగ్రీచదువు బి.యస్‌సీ. పూర్తిచేశారు.

ఉపనయనము, వివాహము : 1967లో ఆచార్య కృష్ణ జీ (స్వామీ దీక్షానంద సరస్వతి) చే ఉపనయనం జరిగింది. 1968లో వివాహ సంస్కారం జరిగింది. శ్రీమతి జయశ్రీ జీవిత సహచరిగా ఉంది.

ఒక కుమార్తె మైత్రేయి ఫిజియోథెరెపీ డాక్టరు, భర్త రవీందర్ నాచూరితో అమెరికాలో ఉంటుంది. ఇద్దరు మనుమలు రఘువీర్ మరియు దేవాశ్రిత్ ఉన్నారు.

ఉద్యోగం : 1966, 67లో రెండేళ్ళు ప్రభుత్వంలో తాత్కాలిక ఉద్యోగాలు చేసి, 1968, 20 సెప్టెంబర్‌న నారాయణ గూడలోని కేశవ మెమోరియల్ హైస్కూల్‌లో ఉపాధ్యాయుడిగా ఉద్యోగం చేశారు. ఉద్యోగం చేసేకాలంలో B.Ed. M,Ed. పట్టాలు పొందారు. పాఠశాలలో, సైన్సు బోధనతోబాటు అనేక బోధనేతర కార్యక్రమాల్లో చురుకుగా పాల్గొన్నారు. 4 నుండి 10వ తరగతివరకు ఆంగ్లం నుండి హిందీలోకి సైన్సు పాఠ్య పుస్తకాలను అనువదించారు.

ఆర్యసమాజరంగంలో సేవా కార్యక్రమమాలు : తండ్రి నారాయణస్వామి గారి ప్రేరణతో ఆర్యసమాజ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటూ కార్యకర్తగా మారారు. సాహిత్యం ద్వారా ప్రచారం గావించే ఉద్దేశ్యంతో చిన్న చిన్న పుస్తకాలు అనువదించారు. **"సత్యార్థ ప్రకాశ సందేశం"** అనే పుస్తకం అధికంగా ప్రచారంలోకి వచ్చింది.తెలంగాణా, ఆంధ్ర ప్రాంతాలలో కూడా ప్రచారకునిగా, పురోహితుడిగా సేవలందిస్తున్నారు.

దేవనాగరి లిపి ప్రచారం : జాతీయ సమైక్యతకోసం దేవనాగరి లిపిని, అన్ని భారతీయ భాషలకు ఉపయోగించాలనే ఆశయంతో కీ॥శే॥ ఖండేరావు కులకర్ణిగారు స్థాపించిన వినాయక రావు విద్యాలంకార్ రాష్ట్రోత్థాన సాహిత్యసమితికి సంస్థాపక సభ్యులుగా ఉండి దేవనాగరి లిపి వాడుక కోసం బాగా కృషి చేశారు.**పురస్కారాలు** : 2001లో భారతీయ సంస్కృతి నిర్మాణ పరిషద్‌వారు **"రాణా ప్రతాప్ పురస్కారం"** ఇచ్చి అభినందించారు.

THE VIEWS & THE NEWS PUBLISHED IN THIS ISSUEMAY NOT NECESSARILY BE AGREEABLE TO THE EDITOR

कलांजली प्रेस विठ्ठलवाडी में मुद्रित करवा कर प्रकाशित किया। प्रकाशकः आर्य प्रतिनिधि सभा आं. प्र. सु. बाज़ार, हैदराबाद